रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 20, 1999/भाद्र 29, 1921
No. 75] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 20, 1999/BHADRA 29, 1921

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया

(कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 के अधीन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1999

फा.सं. 104/27/लेखा.—31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष की दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया की परिषद् की उन्नीसवीं वार्षिक रिपोर्ट।

1 प्रस्तावना

कपनी सचिव अधिनियम 1980 की धारा 18 की उपधारा (5) के अनुसरण में दि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज की परिषद 31 मार्च 1999 की 19वीं वार्षिक रिपोर्ट और इस अवधि के लेखों का परीक्षित विवरण तथा उन पर इंस्टीट्यूट के कामकाज की लेखापरीक्षक रिपोर्ट प्रकाशित करती है।

2 नई घटनाएं

2.1 कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 में संशोधन

इंस्टीट्यूट की परिषद ने कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 में सशोधन करने के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे। इन प्रस्तावो मे निम्नलिखित शामिल हैं–'नियोजन में रहने' शब्दावली की परिभाषा, सदस्यों से कितना अधिकतम प्रवेश और वार्षिक शुल्क लिया जा सकता है, इस बारे में राशि की अधिकतम सीमा को हटाना, प्रेक्टिसरत सदस्यों को 'प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिव' का पदनाम तथा नौकरी में लगे सदस्यों को उनके नियोक्ताओं द्वारा दिए गए पदनाम का प्रयोग करने की अनुमति देना, व्यवसाय या अन्य कदाचार से सम्बन्धित जांचों के मामले में अनुशासन समिति की रिपोर्ट पर विचार करने से पूर्व परिषद के समक्ष अभ्यावेदन देने का अवसर देने का प्रावधान; समर्थक प्रावधान की व्यवस्था करना जिससे प्रेक्टिसरत सदस्य व्यवसाय सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत में और भारत के बाहर की व्यावसायिक संस्थाओं के

साथ व्यवस्था कायम कर सकें और प्रेक्टिसरत सदस्यों को अपनी अर्हताओं, व्यावसायिक अनुभव और जिस प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, इनके बारे में विज्ञापन देने या लिखित पत्रों आदि भेजने की अनुमति मिल सके।

जून 1998 में कम्पनी कार्य विभाग ने तीन संस्थानों–अर्थात् आई सी एस आई, आई सी ए आई और आई सी ए डब्ल्यू आई– का एक कार्यबल गठित किया: इसका गठन तीनों संस्थानों द्वारा अपने–अपने अधिनियमों में संशोधन के लिए प्रस्तुत किए गए विभिन्न प्रस्तावों पर जांच करने और सदस्यों के व्यावसायिक अथवा अन्य किसी कदाचार के बारे में जांच करने की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों के लिए समान प्रावधानों की सिफारिश करने के लिए किया गया।

इस कार्यकाल की दो बैठकें होने के बाद आम सहमति बनी, किन्तु प्रत्येक संस्थान के परिषद के गठन और व्यवसाय की प्रकृति के बारे में कुछ अपवाद थे। जिन प्रस्तावों की सिफारिश कार्यबल द्वारा की गई थी, परिषद ने उनका समर्थन किया और कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 में संशोधन करने के लिए सरकार को आगे भेज दिया। सरकार प्रस्तावित संशोधनों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

2.2 आई सी एस ए., यू.के. डिवीजन के साथ सहमति पत्र

इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया और इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, यू. के. डिवीजन के साथ जयपुर में 11 नवम्बर 1995 को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि "कम्पनी सेक्रेटरीशिप" ओर व्यावसायिक प्रशासन में सर्वोत्तम प्रेक्टिस को बढ़ावा देना तथा इंस्टीट्यूटों के बीच निकट संबंध सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक तरीके ढूढंना–दोनों इंस्टीट्यूटों के समान हित में है। लगातार पत्राचार और पूरी गोपनीयता रखते हुए एक दूसरे की मूल्यांकित उत्तर–पुस्तिकाओं का आदान प्रदान करने के बाद तथा दोनों इंस्टीट्यूटों की परीक्षाओं के उच्च स्तर के बारे में संतुष्ट होने एवं व्यावसायिक शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के बारे में एक दूसरे की गतिविधियों को समझने के बाद दोनों इंस्टीट्यूटों ने नवम्बर 1998 में पुणे में एक विस्तृत सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसके द्वारा दोनों इंस्टीट्यूटों ने आपसी सहमति के आधार पर एक दूसरे की परीक्षाओं

में प्रश्न–पत्र क्रम में छूट देना स्वीकार कर लिया। आई सी एस ए, यू.के. डिवीजन द्वारा आयोजित अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करन के आई सी एस आई के इच्छुक सदस्यों को आई सी एस आई की परीक्षा के प्रश्न पत्रों में से तीन प्रश्न त्रों–अर्थात् निगम विधि और प्रेक्टिस–1, निगम विधि और प्रेक्टिस–2, निगम विधि और प्रक्टिस–3 सभी पत्रो में छूट मिलेगी। दोनों इंस्टीट्यूट इस बात पर सहमत हो गए हैं कि उन दोनों इंस्टीट्यूटों का कोई भी एसोसिएट या फैलो सदस्य, जिसकी कम से कम दो वर्ष की अच्छी ख्याति है और उसने दूसरे इंस्टीट्यूट की अर्हक परीक्षा के गैर–छूट वाले प्रश्न पत्रों की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो उसे एक दूसरे के इंस्टीट्यूट में सदस्य के रूप में प्रवेश दे दिया जाएगा। परिषद् ने इस सहमति पत्र को परिपुष्ट कर दिया है और दोनों इंस्टीट्यूट सहमति पत्र को कार्यान्वित करने के आगे के तौर तरीकों को तैयार कर रहे हैं।

2.3 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन

कम्पनी सचिवों का 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन 12–14 नवम्बर 1998 को पूना में आयोजित किया गया, जिसका विषय था–'कार्पोरेट लाज इन नेक्स्ट मिलेनियम (अर्थात् अगली सहस्राब्दि में निगम–विधियां'। इस सम्मेलन में लगभग 800 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें यू.के. और श्री लंका के प्रतिनिधियों ने भी सममेलन में भाग लिया। इसका स्तर अत्यधिक ऊचा था। परिषद पूणे शाखा और पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद द्वारा इसके आयोजन के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करती है। इस अवसर पर इण्डियन एक्सप्रेस, लोकसत्ता और फिनांश्यल एक्सप्रेस ने पूरे पृष्ठ का न्यूजपेपर सप्लीमेंट प्रकाशित किया।

2.4 व्यवसाय और प्रशिक्षण के प्रेक्टिस संबंधी पहलू और सदस्यों के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया

व्यवसाय और प्रशिक्षण के प्रेक्टिस संबंधी पहलू के विकास और सदस्यों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करने को सुनिश्चित बनाने की दृष्टि से परिषद ने प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों की एक समिति गठित की, जो परिषद की एक पूर्ण समिति के रूप में होगी और वर्ष 1999 को सदस्यों के विकास का वर्ष घोषित किया। प्रशिक्षण और सदस्यो की अनवरत शिक्षा के लिए विकास व्यय के वास्ते वर्ष 1999–2000 में इंस्टीट्यूट के बजट में विशिष्ट रूप से 15 लाख रुपये की राशि रखी गई है। एक अलग अनवरत शिक्षा निदेशालय इंस्टीट्यूट के मुख्यालय में बनाया गया है, जो वर्तमान सदस्यों के लिए और व्यवसाय में नए प्रवेशकर्ताओं के लिए भी व्यावसायिक विकास की गतिविधियां और अनवरत शिक्षा कार्यक्रमों को तेज करने पर निरन्तर ध्यान देगा। विशेष रूप से तैयार सहभागी प्रमाण पत्र कार्यक्रम (पार्टिसिपेटिव सर्टिफिकेट प्रोग्राम) नियामक प्राधिकरण के साथ नियमित रूप से विचार विमर्श और प्रेक्टिसरत सदस्यो की सेवाओं के प्रयोक्ताओं और भविष्य में संभावित प्रयोक्ताओं के माध्यम से व्यवसाय के प्रेक्टिस सम्बन्धी पहलू का विकास करने और सशक्त करने के लिए हर तरह से ध्यान दिया गया। इस वर्ष के दौरान पहली बार कम्पनी सचिवों के लिए प्रेक्टिस के प्रतिपादित क्षेत्रों पर ही पूरी की पूरी कार्यशालाएं गांधीनगर, कलकत्ता, चेन्नई और नई दिल्ली मे आयोजित की गईं। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के अधीन विश्व–बाजार व्यवस्था के कारण व्यापार सम्बन्धी बदलते परिदृश्य के मद्देनजर प्रेक्टिस के नए और उभरते क्षेत्रों पर बातचीत करने, इनका पता लगाने और उनकी साफ साफ तस्वीर लोगों के सामने रखने एवं प्रेक्टिस के नए क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 1999 में प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का भी फैसला किया गया। यह भी तय किया कि वर्ष के दौरान 'सी एस पी अपडेट' का प्रकाशन किया जाए और प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों को इसे भेजा जाए; इसमे प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों के लिए विभिन्न सुसंगत क्षेत्रों पर जारी कानूनी संशोधनों, सरकारी अधिसूचनाओं, परिपत्रों और स्पष्टीकरणों का प्रकाशन किया जाएगा। 'चार्टर्ड सेक्रेटरी' में भी अलग से एक स्तम्भ रखा गया है जिसमें प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों से सबंधित सूचना और सामग्री दी जाती है।

2.5 केन्द्रीय मंत्रालयों, आर बी आई, सेबी, वित्तीय संस्थानों आदि से विचार विमर्श

इस वर्ष भी कम्पनी कार्य विभाग, आर्थिक मत्रालयों, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, अखिल भारतीय और राज्यस्तरीय वित्तीय सस्थानो, राज्य औद्योगिक विकास निगमो, स्टाक एकसचेंजों, डिपाज़िटरियों, बैंकों, बीमा कम्पनियों, एपेक्स और

राज्य स्तर के चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आदि से नियमित रूप से बैठक और विचारविमर्श करते हुए व्यवसाय के विकास के लिए जोरदार प्रचार जारी रहे। इसके अलावा व्यवसाय की छवि निर्माण और इसकी मौजुदगी की जानकारी को और अधिक सुधारने की दृष्टि से इस बात का प्रचार करने के प्रयास किए गए जिनसे लोगों को कम्पनी सचिवों द्वारा दी जा रही सेवाओं और कानूनी अनुपालनाओं के अलावा विभिन्न प्रकार के कार्यों के निर्वहन में उनकी उपयुक्तता की जानकारी मिल सके। सचिवीय लेखा परीक्षा और सचिव अनुपाल ने रिपोर्ट, प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों द्वारा 'ड्यूडिलीजेंस एंड कम्फर्ट सर्टिफिकेट्स' की आवश्यकता और उपयोगिता तथा प्रबन्धन, ऋण संस्थानों, निवेशकों और अन्य स्टॉक होल्डरों के लिए उनकी सेवाओ के बढ़ते महत्त्व पर विशेष बल दिया गया।

विभिन्न देशों के राजदूतों, कमिश्नरों, वाणिज्यिक कौंसिलरों से भी बैठकें की ताकि कम्पनी सचिवों द्वारा की जा रही सेवाओं की जानकारी को फैलाया जा सके।

2.6 विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री का इंस्टीट्यूट में दौरा

व्यवसाय और इस्टीट्यूट के लिए एक महत्त्व की विशेष घटना रही जब तत्कालीन केन्द्रीय विधि मंत्री माननीय डा0 एम. थम्बीदुराई 5 मई 1998 को इंस्टीट्यूट के मुख्यालय में आए और परिषद को सम्बोधित किया। परिषद ने इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय से सदस्यो के लिए कम्पनी अधिनियम के माध्यम से प्रेक्टिस करने के वास्ते अलग से ही कतिपय क्षेत्र सुरक्षित रखने और इस व्यवसाय को उसका उचित स्थान दिलाने का अनुरोध किया। कम्पनी विधेयक 1997 के बारे में इस्टीट्यूट के सुझावों को भी माननीय मंत्री के सामने रखा गया।

2.7 व्यवसाय की मान्यता

इस्टीट्यूट द्वारा इस वर्ष किए गए लगातार प्रयासों से कुछ सफलता मिली। सभी स्टॉक एक्सचेंजों ने सेबी निर्देशों के अनुरूप अपने सूचीबद्ध अनुबंध में संशोधन किया, जिससे यह प्रावधान रखा गया है कि कम्पनी इस बात पर जोर देगी कि रजिस्ट्रार और शेयर अन्तरण एजेण्ट (आर टी ए) किसी प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिव का प्रमाण पत्र दें कि सभी अन्तरण निर्धारित समय में पूरे कर लिए गए।

बम्बई, कलकत्ता, पुणे और उत्तर प्रदेश के स्टॉक एक्सचेंजों ने निवेशकों के हित की सुरक्षा के लिए एक कदम और आगे बढ़ कर अपने सूचीबद्ध अनुबन्ध में एक विस्तारित धारा जोड दी है जिससे सम्बंधित कम्पनियों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि यथास्थिति प्रेक्टिसरत आर टी ए और /या इन–आउस शेयर अंतरण के बारे में कम्पनी सचिव से इस बात का प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष की हर छमाही के अन्त में एक महीने के अन्दर पेश किया जाए कि अन्तरण, उप–विभाजन, समेकन, नवीकरण, आदान–प्रदान या कॉल/अलाटमेंट मनी के पृष्ठाकन के लिए सम्बन्धित दस्तावेज दे दिए गए तथा इनकी एक प्रति 24 घण्टे के अन्दर एक्सचेज को उपलब्ध करा दी जाए।

'सेबी' ने सभी स्टॉक एक्सचेंजों को यह प्रावधान करने के लिए सूचीबद्ध अनुबन्ध संशोधन करने के लिए एक और भी निर्देश जारी किया है कि सूचीबद्ध अनुबन्ध के अनुपालन में नियुक्त किया जाने वाला अधिकारी कम्पनी का कम्पनी सचिव होगा।

कम्पनी कार्य विभाग द्वारा हाल में जारी प्राइवेट लिमिटेड और असूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) नियमावली, 1999 में साथ ही साथ यह प्रावधान भी है कि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी या असूचीबद्ध

सार्वजनिक कम्पनी पूर्णकालिक कम्पनी सचिव की उपस्थिति में वापस खरीदे गए शेयर प्रमाण पत्रों को जला देगी और प्रत्यक्षतः नष्ट कर देगी। नियमों में यह भी प्रावधान है कि प्रबन्ध निदेशक सहित दो पूर्णकालिक निदेशकों द्वारा सत्यापित तथा पूर्णकालिक कम्पनी सचिव द्वारा सत्यापित एक प्रमाण पत्र कम्पनियों के रजिस्ट्रार को प्रमाण पत्रों को जला देने और नष्ट कर देने के सात दिन के अन्दर भेजेगी जिसमें प्रमाणित करना होगा कि प्रमाण पत्रों को नष्ट करने सम्बन्धी नियमों सहित इन नियमों का अनुपालन किया गया है।

अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज ने निर्धारित किया है कि सभी कम्पनियां अपनी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों को जब्त करने की घोषणा प्रस्तुत करेंगी, जिसे प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिव इस बारे में सत्यापित और अधिप्रमाणित करेगा कि शेयर होल्डरों को यथावत नोटिस देने और कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं कम्पनी के मैमोरेण्डम और आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस/आफर लैटर में किए गए प्रावधानों का अनुपालन करने के बाद प्रतिभूतियों को जब्त किया गया है। बल्कि स्वैच्छिक रूप से प्रतिभूतियों को सूची से हटाने के लिए अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज को अनुरोध करने वाली कम्पनियों के लिए आवश्यक है कि इस बारे में इन प्रतिभूतियों का सत्यापन और अधिप्रमाणन कोई प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिव करे कि स्वैच्छिक रूप से सूची में से हटाने सम्बन्धी सेबी के प्रावधानों, सूचीबद्ध करने सम्बन्धी प्रावधानों और अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

गुजरात राज्य वित्त निगम ने हमारे इस सुझाव को स्वीकार करने का निर्णय लिया है कि शोध रिपोर्टों और कम्पनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय से सम्बन्धित अन्य कार्य को पूरी तरह से प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिव के लिए रखा जाए। यह भी तय पाया है कि फैक्टरी अधिनियम, सुरक्षा प्रावधानों और अन्य स्थानीय अधिनियमों के अनुपालन वाले 'ड्यू–डिलीजेंस' प्रमाण पत्र को एक मात्र प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिव से ही स्वीकार किया जाए।

गुजरात औद्योगिक विकास निगम ने निर्णय किया है कि औद्योगिक प्लाट/शेड के हस्तांतरण के अवसर पर हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरिती कम्पनी की शेयर पूंजी और शेयर होल्डर के सम्बन्ध में प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को स्वीकार किया जाएगा।

अहमदाबाद शाखा द्वारा किए गए प्रयासों और पहल पर परिषद अपनी सराहना व्यक्त करती है।

28 निगम अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए आई सी एस आई केन्द्र (सी सी आर टी)

इस वर्ष निगम अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए आई सी एस आई केन्द्र (सी सी आर टी) के भवन निर्माण और साज–सज्जा का कार्य पूरा हो जाने के बाद सी सी आर टी अपना कार्य शुरू करने के लिए तैयार है, जिससे इंस्टीट्यूट का एक ऐसा केन्द्र स्थापित करने का यह स्वप्न साकार हो गया है, जहा निगम प्रशासन के लिए उत्कृष्ट निगम व्यावसायिक तैयार करने और भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बना कर खड़ा करने का काम पूरा किया जा सके। मुख्य अतिथि के कार्यक्रम में आखिरी क्षण में परिवर्तन होने के कारण औपचारिक रूप से इस केन्द्र का उद्घाटन नहीं हो पाया। फिर भी कुछेक व्यावसायिक विकास और अनवरत शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन कर समिति रूप से कामकाज शुरू हो गया है। परिषद ने सी सी आर टी सलाहकार बोर्ड का गठन किया है, जिसमें मानवाधिकर आयोग के अध्यक्ष और भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायधीश माननीय श्री जस्टिस एम. एन वेंकटचलैया की अध्यक्षता में सी सी आर टी की विभिन्न गतिविधियों और कामकाज चलाने के लिए परामर्श देने के वास्ते प्रबुद्ध व्यक्तियों को शामिल किया गया है। परिषद सी सी आर टी समिति (1992–94) के अध्यक्ष श्री एन एल भाटिया का हृदय से आभार और प्रशसा करती हैं, जिन्होंने इस केन्द्र की आवश्यकता की परिकल्पना की, परिषद सी सी आर टी समिति (1995–98) के अध्यक्ष और सी सी आर टी भवन समिति (1999) के अध्यक्ष श्री ए. के. मोदी का आभार और प्रशंसा व्यक्त करती है, जिनके अथक प्रयासो और निर्माण संबंधी मामलो की विभिन्न जटिलताओं पर उनकी अन्तर्दृष्टि के कारण सी सी आर टी का स्वप्न साकार हो सका; डा0 पी पी मिस्त्री, अध्यक्ष वित्त समिति (1995–99) का आभार और प्रशसा व्यक्त करती है

जिन्होंने उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान किया और आगे आने वाली सभी सी सी आर टी समितियों, परियोजना–उपसमितियों और वित्त–उपसमितियों के सभी सदस्यों को उत्प्रेरित किया कि वे जिस तरह भी इस कार्य में योगदान कर सकते हैं, उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा दें।

2.9 भारतीय स्वतंत्रता स्वर्ण जयन्ती समारोह व्याख्यान माला

नई दिल्ली में 5 अगस्त 1998 को "कारपोरेट विज़न–21वीं शताब्दी "विषय पर भारतीय स्वतंत्रता स्वर्ण जयंती समारोह व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री जस्टिस एम. एन. वैकटचलैया ने व्याख्यान दिया। कम्पनी कार्य विभाग के सचिव श्री टी. एस. कृष्णामूर्ति ने भी उपस्थित जन समूह का सम्बोधित किया। इस समारोह में दिल्ली उच्च न्यायालय, न्यायाधीश, संसद सदस्य, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इंस्टीट्यूट के पूर्व अध्यक्ष, परिषद–सदस्य और बड़ी संख्या मे व्यवसाय के सदस्य उपस्थित थे। इस समारोह की प्रशंसा न केवल सरकारी हल्कों में हुई, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भी इस व्यवसाय की उपस्थिति बेहतर ढंग से प्रगट हुई।

2.10 सी सी एल एस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण

पहले की तरह ही इस वर्ष भी कम्पनी कार्य विभाग के आदेश पर इंस्टीट्यूट ने नई दिल्ली में केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा के अधिकारियों के लिए एक पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सेवा के सभी क्षेत्रों से आए अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और सभी भागीदारों एवं कम्पनी कार्य विभाग ने अत्यंत सराहना की।

2.11 विवाद समाधान पर सम्मेलन

13 दिसम्बर 1998 को नई दिल्ली में बार कौंसिल आफ इण्डिया के साथ संयुक्त रूप से इंटरनेशनल सेंटर आफ आल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के सहयोग से 'विवाद समाधान' पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पर्याप्त उपस्थिति थी, जिसका उद्घाटन भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री जस्टिस ए. एम. अहमदी ने किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय श्री जस्टिस डी पी वाधवा ने अध्यक्षता की और माननीय दि लार्ड कूक आफ थार्नडन के बोर्ड ने विशेष भाषण दिया। प्रख्यात विधि विज्ञ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट एफ एस नरीमन, सांसद, और आई सी डी ए आर के अध्यक्ष एच आर भारद्वाज, बार कौंसिल आफ इण्डिया के अध्यक्ष श्री अनूप मिश्रा, अध्यक्ष श्री बी पी धनुका, उपाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र गंडा ने भी सम्मेलन को सम्बोधित किया। अपने किस्म का यह प्रथम सम्मेलन बार कौंसिल आफ इण्डिया के साथ मिल कर संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, अध्यक्ष कम्पनी लॉ बोर्ड, अध्यक्ष फेरा बोर्ड, विधि आयोग और सी ई जी ए टी के सदस्यों, अकादमिशियनो, परिषद के पूर्व अध्यक्षों तथा इस्टीट्यूट के अन्य सदस्यों एवं विधि व्यवसाय के लोगों ने भाग लिया।

2.12 पी एच डी करने वालों के लिए मान्यता

वाणिज्य/प्रबन्धन तथा इन क्षेत्रों से सम्बन्धित विषयों पर पी एच डी के पंजीकरण के लिए शोलापुर विश्वविद्यालय ने कम्पनी सचिव की अर्हता को मान्यता प्रदान कर दी है। अभी तक अपने पी एच डी पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के लिए 26 विश्वविद्यालय कम्पनी सचिव की अर्हता को मान्यता दे चुके हैं।

2.13 व्यावसायिक विकास और अनवरत शिक्षा कार्यक्रम

समीक्षाधीन वर्ष में 26वें राष्ट्रीय सम्मेलन सहित तेरह व्यावसायिक विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस

रिपोर्ट के परिशिष्ट 'ख' में विवरण दिए गए हैं।

2.14 नए प्रकाशन

इंस्टीट्यूट ने इस वर्ष निम्नलिखित नए प्रकाशन प्रकाशित किए:

1. फारेन कोलेबोरेशंस एंड जांइट वेन्चर्स–पोलीसिज एंड प्रोसीजर्स

2. स्पेसीमेन आफ सेक्रेटेरियल कम्पलाइंस रिपोर्ट एंड चेक लिस्ट फार दि रिपोर्ट

3. रेफरेंस आन प्रोपाउंडिंग एरियाज़ ऑफ प्रेक्टिस फार कम्पनी सेक्रेटरीज़

4. रेफरेंस आन आल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन–लॉ एंड प्रेक्टिस।

2.15 पूंजी–बाजार और वित्तीय सेवाओं में पश्च सदस्यता अर्हता पाठ्यक्रम

31 मार्च 1999 को पूंजी–बाजार और वित्तीय सेवाओं में पश्च सदस्यता अर्हता पाठ्यक्रम के लिए इंस्टीट्यूट के 321 सदस्यों के नाम दर्ज थे। पी एम क्यू पाठ्यक्रम के तीसरे और चौथे सत्र की परीक्षाएं क्रमशः जून 1998 और दिसम्बर 1998 में चार केन्द्रों–कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली और मुम्बई में आयोजित हुईं। परीक्षा–परिणाम सम्बन्धी आंकड़े इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'घा' में दिए गए हैं। इस वर्ष पी एम क्यू पाठ्यकम का अध्ययन करने वाले सदस्यों के लिए सात पुनश्यर्चा/क्रैश कार्यक्रम आयोजित किए गए।

2.16 कम्प्यूटरीकरण और सूचना तकनॉलॉजी

विद्यार्थियों, सदस्यों और प्रशिक्षण सेवाओं, वित्त और भण्डारण को शामिल करते हुए कमप्यूटरीकरण का प्रथम चरण पूरा किया जा चुका है। कम्प्यूटरीकरण के दूसरे चरण में इंस्टीट्यूट की शेष गतिविधियों को शामिल करने का कार्य शुरू किया गया है। इंटरनेट और ई–मेल प्रणालियों को मुख्यालय, क्षेत्रीय परिषदों और पुणे शाखा में लगाया जा चुका है। एल ए एन के अधीन ई–मेल प्रणाली को मुख्यालय में प्रत्येक निदेशालय में कार्यान्वित किया जा चुका है। जून 1998 और दिसम्बर 1998 के परीक्षा परिणाम आई सी एस आई की वेब साइट के जरिए प्रकाशित किए गए। कम्प्यूटरीकरण की एक कोर समिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष आई एन एस डी ओ सी के निदेशक है; यह समिति इंस्टीट्यूट की आगामी कम्प्यूटीकरण गतिविधियों में यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है ताकि इंस्टीट्यूट के कम्प्यूटरों में हार्डवेयर और साफटवेयर में 'वाई 2 के' का अनुपालन किया जा सके।

3. परिषद

3.1 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

परिषद की 112 वीं बैठक 1 जनवरी 1999 को हुई जिसमें 1 जनवरी 1999 से एक वर्ष के लिए उत्तरी क्षेत्र के श्री वीरेन्द्र गंडा को अध्यक्ष और पश्चिमी क्षेत्र के श्री जे श्रीधर को उपाध्यक्ष चुना गया।

3.2 बैठकें

समिति की विभिन्न बैठकों के अलावा परिषद ने 1998–99 के दौरान सात बैठकें आयोजित कीं।

3.3 समितियां आदि

परिषद द्वारा गठित विभिन्न समितियों, विशेषज्ञ ग्रुपों ओर परामर्शी बोर्डों का विवरण इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'क'

4. क्षेत्रीय परिषदें और शाखायें

4.1 क्षेत्रीय परिषदें

चारों क्षेत्रीय परिषदों ने बड़े उत्साह और जोश से अपनी गतिविधियां और कामकाज को चला कर परिषद को अपना समर्थन और सहायता देना जारी रखा। क्षेत्रीय परिषदों ने कैरियर जागृति कार्यक्रमों, फोन–इन कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं, एस. एम. टी. कार्यक्रमों, मौखिक शिक्षण कक्षाओं, विद्यार्थी मार्गनिर्देशी बैठकों, अध्ययन सर्किल कक्षाओं और क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया। ये परिषदें पुस्तकालयों को भी व्यापक रूप से अद्यतन रखने, समाचार–बुलेटिन प्रकाशित करने और आंकड़े रखते हुए रोजगार सेवाएं प्रदान करने, सदस्यों/1998–1999 के दौरान परिषद के निर्देशानुसार विद्यार्थियों को जानकारी देने, इंस्टीट्यूट के प्रकाशनों की बिक्री करने का काम भी कर रही हैं। मुख्यालय द्वारा की जाने वाली कुछ गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण क्षेत्रीय परिषदों में कर दिया गया है। 31 मार्च 1999 को क्षेत्रीय परिषद की रिजर्व और अधिशेष राशि तथा प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में सदस्यों और विद्यार्थियों की सख्या नीचे दी गई है:

मद	पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद	उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद	दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद	पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद
वित्तीय स्थिति:				
(1) अधिशेष (+) घाटा (–)1998–99 रू0	571304	801032	(128006)	(84533)
(2) रिजर्व रु0	1947065	3241763	1479489	272405
नियमित पाठयक्रम के विद्यार्थियों की सख्या				
–31–03 1999 को	25191	51104	35226	37045
–31–03 1998 को	23855	52990	34792	34294
–1998–99 के दौरान वृद्धि का प्रतिशत	5.60	(–) 3 56	1.25	8.02
फाउंडेशन पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की सख्या				
–31 मार्च 1999 को	6540	23037	6892	9122
–31 मार्च 1998 को	8346	29972	9531	11370
–1998–99 के दौरान वृद्धि का प्रतिशत	(–) 21.64	(–) 23.14	(–) 27.69	(–) 19.77
सदस्यो की सख्या				
–31 मार्च 1999 को	1406	3317	3169	4174
–31 मार्च 1998 को	1405	3184	3112	4068
–1998–99 के दौरान वृद्धि का प्रतिशत	0.07	4 18	1.83	2 61

4.2 शाखायें

1998–99 के दौरान इंस्टीट्यूट की सभी 36 शाखाओं की प्रबंध समितियों का पुनर्गठन कंपनी सचिव विनियमावली, 1982 तथा सचिव शाखाओं की मार्ग–निर्देशिका 1983 के अनुसार किया गया। इस वर्ष के दौरान शाखाओं ने विद्यार्थियों को शिक्षण, मौखिक शिक्षण और प्रशिक्षण देने तथा सदस्यों के लिये अध्ययन सर्किल बैठकें एवं व्यावसायिक

विकास कार्यक्रम आयोजित करने की अनेक गतिविधियां संपन्न कीं। इस वर्ष मदुरई शाखा ने अपने कार्यस्थल की खरीद की। आज तक जिन शाखाओं के अपने कार्यस्थल हैं उनके नाम इस प्रकार है:– अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, कोचीन, डोम्बीवली, गाजियाबाद, गोआ, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, कानपुर, मदुरई, मंगलौर, पुणे और वडोदरा।

4.3 सर्वोत्तम शाखा पुरस्कार

वर्ष 1997 के सर्वोत्तम शाखा पुरस्कार पुणे में आयोजित 26 वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में निम्नलिखित शाखाओं को दिये गये:

सर्वोत्तम राष्ट्रीय शाखा पुरस्कार

हैदराबाद

सर्वोत्तम क्षेत्रीय शाखायें

पूर्व–भुवनेश्वर

उत्तर–कानपुर और जयपुर (संयुक्त विजेता)

दक्षिण–हैदराबाद

पश्चिम–पुणे

4.4 सैटेलाइट शाखाएं

इंस्टीट्यूट की परिषद ने सभी चारों क्षेत्रों में सदस्यों और विद्यार्थियों की सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए तथा लाइब्रेरी और मौखिक शिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने एवं सदस्यों और विद्यार्थियों के बीच आपसी सलाह मशविरा करने के लिए सैटेलाइट शाखाओं के गठन के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं। आज की तारीख तक निम्नलिखित स्थानों पर 16 सैटेलाइट शाखाओं का गठन किया जा चुका है।:

उत्तर – आगरा, इलाहाबाद, बरेली, व्यावर, भीलवाड़ा, गुड़गांव, जोधपुर, मेरठ, वाराणसी, और यमुना नगर,

दक्षिण – हुबली–धारवाड़, कोट्टयम, त्रिचुर, और विजयवाड़ा,

पश्चिम – नासिक और रायपुर

इंस्टीट्यूट की सैटेलाइट शाखाओं में अध्ययन सामग्री, शोध प्रकाशन, चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल, स्टूडेण्ट कम्पनी सेक्रेटरी बुलेटिन और सभी क्षेत्रीय परिषदों के न्यूज़ लैटर तथा विद्यार्थियों और सदस्यों के फार्म उपलब्ध हैं।

5. सदस्य

5.1 नए प्रवेश

1998–99 वर्ष में 534 एसोसिएट सदस्य तथा 203 फैलो सदस्यों को प्रविष्ट किया गया। 31 मार्च 1999 को इंस्टीट्यूट के रजिस्टर में 12066 सदस्य दर्ज थे, जिनमें से 8845 एसोसिएट और 3221 फैलो सदस्य थे। 31 मार्च 1999 को विदेशों में रहने वाले सदस्यों की संख्या 273 थी। 1998–99 वर्ष के दौरान परिषद को 13 सदस्यों की मृत्यु की सूचना देते हुए दुख है।

1998–99 वर्ष में 242 सदस्यों को प्रेक्टिस प्रमाण पत्र जारी किए गए। 31 मार्च 1999 को प्रेक्टिस प्रमाणपत्रधारियों की संख्या 1 180 थी।

5.2 सदस्यों की सूची

कम्पनी सचिव विनियमावली 1982 के विनियम 161 के साथ पठित कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 19(3) के अनुसरण में 1 अप्रैल 1998 की स्थिति के अनुसार सदस्यों की पूरक सूची प्रकाशित की गई है। पूरक सूची में दी गई सूचना इस प्रकार है–जैसे सदस्यों के निवास के पते, टेलीफोन नंम्बर, फैक्स नम्बर, व्यवसाय स्थान के पते, मोबाइल फोन न0, पेजर न0 आदि जैसी कुछ और अतिरिक्त सूचनाएं भी दी गई हैं ताकि सदस्यों के बीच बेहतर संचार और सलाह मशविरा हो सके। सदस्यों को यह सूची उनके अनुरोध पर सप्लाई की गई है।

6. "चार्टर्ड सेक्रेटरी"

इंस्टीट्यूट का यह जर्नल प्रकाशन के 29वें वर्ष में प्रवेश कर कम्पनी सचिवों के कार्य–क्षेत्रों से सम्बन्धित अद्यतन सूचनाएं देने के अपने मिशन को करता आ रहा है। व्यावसायिक जर्नल के रूप में इसे बहुत ऊंचे स्थान पर माना जाता है तथा विभिन्न क्षेत्रों से चाहे वह उद्योग हो, या वाणिज्यिक अथवा व्यापार हो तथा अन्य व्यावसायिकों ने भी इसे सामयिक विषयों पर ज्ञानवर्धक लेखों का उच्च श्रेणी का प्रकाशन कह कर सराहा है जिसके द्वारा सरकारी अधिसूचनाओं, कानूनी निर्णयों आदि की शीघ्र जानकारी मिल जाती है। एक तरफ इंस्टीट्यूट और दूसरी तरफ सदस्यों एवं निगम–व्यावसायिकों के बारे में अद्यतन सूचना देने का यह प्रभावकारी माध्यम है। समीक्षाधीन वर्ष में जर्नल के तीन विशेषांक प्रकाशित किये जिनका विषय था–केन्द्रीय बजट (जुलाई 1998), डेरीवेटिव्स (अक्तूबर 1998) और इंश्योरेंस (दिसम्बर1998) के विशेषांक प्रकाशित किए गए, जिनके बारे में निगम व्यावसायिकों ने बड़ी सराहना की। इस जर्नल ने पुनर्गठित सम्पादकीय सलाहकार बोर्ड के मार्गनिर्देशन और विद्वत्तापूर्ण सम्मति से शीघ्र और अच्छे किस्म के लेख प्रकाशित करने की परम्परा बनाए रखी।

7. कोर ग्रुप

समीक्षाधीन वर्ष में प्रेक्टिस और रोजगार के नए क्षेत्रों की पहचान और पता लगाने, गाइडेंस नोट्स/मानक सचिवीय पद्धतियों का विकास/अन्तिम रूप देने, व्यवसाय के रोजगार ओर प्रेक्टिस पर प्रभाव डालने वाले विधायी संशोधनों का सुझाव देने, सरकार, नियामक तथा अन्य निकायों से मान्यता प्राप्त करने के लिए अभ्यावेदनों। ज्ञापनों को अन्तिम रूप देने, सदस्यों के लिए पार्टिसिपेटिव सर्टीफिकेट प्रोग्राम (अर्थात् सहभागी प्रमाण पत्र कार्यक्रमों) सहित अनवरत शिक्षा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करने, सरकार, नियामक तथा अन्य निकायों द्वारा इंस्टीट्यूट के पास भेजे गए विभिन्न मामलों पर व्यवसाय के विचारों/टिप्पणियों/राय को अन्तिम रूप देने, नियमों/विनियमों और निर्धारित/निर्धारित किए जाने वाले फार्मो सहित विभिन्न विधानों/प्रस्तावित विधानों पर टिप्पणियां/ज्ञापन तैयार करने के लिए लेखा और वित्त, वैकल्पिक विवाद समाधान, पूंजी बाजार, कम्पनी विधि, डिपाजिटरीज, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, आर्थिक विधान, सूचना तकनालाजी, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, संयुक्त उद्यम और विदेशी सहयोग, श्रम विधि और एन बी एफ जी सम्बन्धित विशेषज्ञता वाले विशेषज्ञों के कोर ग्रुपों का गठन किया गया।

7.1 समितियों में प्रतिनिधित्व

इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष महोदय सेबी द्वारा गठित प्राइमरी मार्केट सम्बन्धी परामर्श समिति के सदस्य बने रहे। अध्यक्ष महोदय को सेबी द्वारा गठित सेकेण्डरी मार्केट की परामर्श समिति, निगम शासन और लेखांकन मानक समिति के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इंस्टीट्यूट के सचिव महोदय को सेबी द्वारा गठित स्टॉक एक्सचेंजों के मॉडल नियमो और उपनियमों की प्रारूपण समिति का सदस्य नामित किया गया है।

8. विद्यार्थी सेवाएं

8.1 नियमित पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण

1998–99 के दौरान 22842 विद्यार्थियो ने पंजीकरण कराया जबकि पिछले वर्ष 30431 विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ था। 31 मार्च 1999 को विद्यार्थियों की चालू पजीकरण संख्या 148594 है, जिनमें वे 651 विद्यार्थी शामिल है, जिनका पंजीकरण विनियम 21(3) के अधीन किया गया। परिशिष्ट 'घ1' में उन विद्यार्थियों की संख्या दी है, जिन्होंने फाउण्डेशन, इन्टर और फाइनल परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं।

8.2 फाउंडेशन पाठ्यक्रम में प्रवेश

रिपोर्टाधीन वर्ष में फाउण्डेशन पाठ्यक्रम में 14425 विधार्थियों को प्रवेश दिया गया, जबकि पिछले वर्ष 18983 विद्यार्थियो को प्रवेश दिया था। 31.3.1999 तक 104281 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा चुका था। 31.3.1999 को फाउंडेशन पाठ्यक्रम के पंजीकृत विधार्थियों की वर्तमान सख्या 50122 थी।

8.3 शिक्षण

1998–99 में फाउंडेशन पाठ्यक्रम तथा अन्य नियमित पाठ्यक्रमों में जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, उन सभी के नाम अनिवार्यतः डाक शिक्षण के लिए भी दर्ज किए गए और उन्हे अध्ययन सामग्री दी गई। इस वर्ष शिक्षण समाप्ति पर 27915 प्रमाण पत्र जारी किए गए और फाउडेशन पाठ्यक्रम के लिए प्राप्त सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया तथा विद्यार्थियो को वापस की गई। इस वर्ष विद्यार्थियों को सेवा प्रदान करने संबंधी गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण करने की दिशा में पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद को छोड़ कर सभी क्षेत्रीय परिषदों में इंटरमीडिएट पाठ्य क्रम की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्याकन की सुविधा दी गई है। दक्षिण भारतीय क्षेत्रीय परिषद में फाइनल पाठ्यक्रम की उत्तर पुस्तिकाओं के स्थानीय मूल्यांकन की भी सुविधा रही है। आशा है कि पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद मे भी उत्तर पुस्तिकाओं के स्थानीय मूल्यांकन की सुविधा शीघ्र शुरू हो जाएगी।

8.4 स्टूडेंट कम्पनी सेक्रेटरी

इस्टीट्यूट कम्पनी सचिव पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले विधार्थियों के लाभ के लिए नियमपूर्वक अपना मासिक बुलेटिन 'स्टूडेंट कम्पनी सेक्रेटरी' प्रकाशित करता है जिसका मुख्य उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकताओ सहित कम्पनी सचिवीय पाठ्यक्रम के प्रशासन के संबंध में हुए विधायी संशोधनों, अध्ययन और सूचना के बारे में जानकारी देना है। यह बुलेटिन नियमित रूप से अध्ययन कर रहे सभी वर्तमान विधार्थियों को निःशुल्क भेजा जाता है।

8.5 कम्पनी सचिव फाउंडेशन पाठ्यक्रम बुलेटिन

फाउडेशन पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए भी, जो अपने कैरियर के मोड़ पर खडे होते हैं, इंस्टीट्यूट अलग से एक कम्पनी सचिव फाउंडेशन पाठ्यक्रम बुलेटिन प्रकाशित करता है। यह द्विमासिक बुलेटिन है जिसे फाउडेशन पाठ्यक्रम के सभी वर्तमान विधार्थियों की निःशुल्क भेजा जाता है।

8.6 कम्पनी सचिव गाइड – अध्ययन और परीक्षा

विद्यार्थियों को इस बारे में मार्गदर्शन देने के लिए कि वे किस तरह से कम्पनी सचिवों की परीक्षा के लिए अध्ययन और तैयारी करें, इस्टीट्यूट ने एक मात्र विद्यार्थियों के लिए एक अद्यतन प्रकाशन – 'ए गाइड टू कम्पनी सेक्रेटरीशिप – स्टडी एंड एक्जामिनेशन' प्रकाशित किया। विद्यार्थी समुदाय को सेवाएं प्रदान करने के लिए यह पुस्तिका पंजीकरण करते समय उन सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क दी जाती है।

8.7 लाइसेंसधारी – आई सी एस आई

रिपोर्टाधीन अवधि में इंस्टीट्यूट में 269 लाइसेंसधारी–आई सी एस आई प्रविष्ट किए गए। 31.3.1999 को लाइसेंसधारिता के लिए जितने आई सी एस आई लाइसेंसधारी वैध थे, उनकी संख्या 572 थी।

8.8 पात्र परीक्षा योजना

विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान करने के बारे में इंस्टीट्यूट की नीति के अनुरूप इंस्टीट्यूट ने 1.1.1998 से पात्र परीक्षा शुरू की थी। इस योजना की विशेषता यह थी कि विद्यार्थी क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों द्वारा रविवारों एवं छुट्टियों में आयोजित अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण कर अपना शिक्षण पूरा कर सकते थे। यह परिकल्पना की गई थी कि यह सुविधा उन कार्यरत विद्यार्थियों के लिए वरदान होगी, जो न तो मौखिक कक्षाओं में उपस्थित होकर मौखिक शिक्षण प्राप्त करने की स्थिति में होते हैं और न ही इनके पास अनिवार्य डाक शिक्षण योजना के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिकाएं भेजने का पर्याप्त समय होता है। चूंकि इस योजना में भाग लेने वालों की सख्या उत्साहवर्धक नही रही, इसलिए इसे बद कर दिया गया है।

8.9 विद्यार्थियों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन

27–28 नवम्बर 1998 को हैदराबाद शाखा ने हैदराबाद में "कम्पनी सचिव–अगली सहस्राब्दि में अवसर और चुनौतियां" विषय पर प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इसमें लगभग 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें से कुछ तो देश के विभिन्न भागों से आए थे और उन्होंने सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर एक पृष्ठभूमि व स्मारिका का विमोचन किया गया ।

9 परीक्षाएं

9.1 परीक्षाओं का आयोजन

1998–99 के दौरान जून और दिसंबर 1998 में देश भर में 50 केन्द्रों पर और एक केन्द्र विदेश (दुबई) में कम्पनी सचिवों की फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षायें आयोजित की गईं। 1998–99 के दौरान विभिन्न परीक्षाओ में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है:

परीक्षा सत्र		
परीक्षा–स्तर	जून 1998	दिसंबर 1998
फाउंडेशन	1835	1594
इंटरमीडिएट	1533	1608
फाइनल	430	504

परीक्षा केन्द्रों की सूची और परीक्षा परिणामों के आंकड़े क्रमशः इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'ग' और 'घ' में दिए गए है ।

9.2 अखिल भारतीय पुरस्कार

विधार्थियों को पूरी तरह से परिश्रम करने को प्रोत्साहन देने के लिए इंस्टीट्यूट उन्हें विभिन्न पुरस्कार, योग्यता प्रमाणपत्र और छात्रवृत्तिया देता रहा है। जून और दिसंबर 1998 की परीक्षाओं के लिए अखिल भारतीय प्रेजीडेंट

पुरस्कार निम्नलिखित विद्यार्थियों को दिये गये:

पाठ्यक्रम	जून 1998	स्थान	दिसंबर 1998	स्थान
इंटरमीडिएट	विकास भूतरा	कलकत्ता	तोषण अजय थामने	थाणे
फाइनल	सुश्री ज्योति काब	हैदराबाद	प्रीतीश कुमार कण्डोई	कलकत्ता

पुरस्कार विजेताओं के नाम तथा अखिल भारतीय पुररकार योजनाओं तथा क्षेत्रीय पुरस्कार योजनाओं के ब्यौरे 'स्टूडेंट कम्पनी सेक्रेटरी' और 'सी एस फाउण्डेशन कोर्स' बुलटिनों में प्रकाशित किये गए।

9.3 योग्यता प्रमाणपत्र/योग्यता छात्रवृत्तियां/वित्तीय सहायता

जून और दिसंबर 1998 सत्रों की फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के प्रथम सर्वोच्च 25 रैंक पाने वाले तथा फाइनल परीक्षा में सर्वोच्च 10 रैंक पाने वाले परीक्षार्थिओं को योग्यता प्रमाण दिए गए।

योग्यता छात्रवृति योजना के अधीन जून और दिसंबर 1998 सत्रों में इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में प्रत्येक सर्वोच्च 15 रैंक के परीक्षार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गईं। इसी प्रकार योग्यता–व–साधन सहायता योजना के अधीन सुपात्र विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दी गई। योग्यता–व–साधन सहायता योजना, 1983 को स्टूडेण्ट कम्पनी सेक्रेटरी के अप्रैल 1999 अंक में अधिसूचित किया गया ।

10 प्रशिक्षण

कम्पनी सचिवीय पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण महत्वपूर्ण घटकों में से एक है और इंस्टीट्यूट के विधार्थियो को प्रशिक्षण देने पर बहुत बल दिया जाता हे। इस वर्ष न केवल प्रशिक्षण देने वाली कम्पनियों की सूची को व्यापक बनाने पर जोर दिया गया बल्कि इन कम्पनियों द्वारा प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रयास भी किए गए।

10.1 प्रशिक्षणदाता कम्पनियों के साथ बैठक

31 अगस्त 1998 को नई दिल्ली में प्रशिक्षणदाता कम्पनियों के साथ बैठक की गई जिसमें दिए जाने वाले प्रशिक्षण के कार्यक्रम, विषय वस्तु और प्रभावकारिता समेत प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के बारे में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी प्रकार की बैठकें पूर्वी, दक्षिण, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषदों और हैदराबाद शाखा ने अपने अपने क्षेत्रों की कम्पनियो के साथ कीं।

10.2 कम्पनियों का सर्वेक्षण

दिल्ली में लगभग 125 प्रशिक्षणदाता कम्पनियों का सर्वेक्षण किया; इसका उद्देश्य इन कम्पनियों की स्थिति को सुनिश्चित करना था। इन कम्पनियों को इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पंजीकृत किया गया था, परन्तु किसी न किसी कारण से ये कम्पनियां प्रशिक्षण देने के लिए बंद कर दी गई थी। सर्वेक्षण कार्य के लिए इंटरमीडिएट/फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सेवाएं ली गई। इस प्रक्रिया में कुछ कम्पनियों को प्रशिक्षण के लिए पुनः अनुमति दे दी गई।

10.3 प्रशिक्षार्थी गाइड

प्रशिक्षणदाता कम्पनियों और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के हित के लिए भी "ए गाइड टू ट्रेनीज" का प्रकाशन किया गया।

10.4 पैनल बनाना

इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए और अधिकाधिक कम्पनियों को पैनल पर लाने के लिए प्रशिक्षण निदेशालय ने कम्पनी कार्य विभाग, देश भर में स्टॉक एक्सचेंजों की सूची में दर्ज विभिन्न कम्पनियों, दिल्ली स्टाक एकसचेज, भारतीय रिजर्व बैंक, सामान्य बीमा निगम, जीवन बीमा निगम, युनाइटेड इण्डिया इश्योरेंस कं0 लि., ओरियंटल इंश्योरेंस कं0 लि0, नेशनल इंश्योरेंस कं0 लि0, न्यू इण्डिया इंश्यारेंस कं0 लि0, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, कम्पनियों के रजिस्ट्रारों के कार्यालयों से सम्पर्क किया।

दिल्ली, हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा कानपुर के कम्पनियों के रजिस्ट्रारों ने तीन महीने के प्रशिक्षण के अलावा विशेषीकृत क्षेत्रों में 15 दिन का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है।

1998–99 के वित्तीय वर्ष के दौरान प्रबंध प्रशिक्षण देने के लिए 122 कम्पनियों को पैनल पर रखा और व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए 79 कम्पनियों को पैनल पर रखा। इस अवधि में प्रशिक्षु प्रशिक्षण देने के लिए 77 कम्पनी सचिवों को मान्यता प्रदान की गई। 31–03–1999 को प्रबंध प्रशिक्षण और व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए क्रमशः 1740 और 1998 कम्पनियां हमारे पैनल पर थीं। इसी प्रकार 31–03–1999 को प्रशिक्षु प्रशिक्षण देने के लिए 395 कम्पनी सचिव थे।

10.5 प्रशिक्षण प्रदान करना

1998–99 के दौरान 218 विद्यार्थियों को प्रबंध प्रशिक्षण प्रदान किया गया, 248 विद्यार्थियों ने व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा किया और प्रशिक्षु प्रशिक्षण पूरा करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 50 थी। प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों द्वारा इंटरमीडिएट/फाइनल परीक्षा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के कार्य को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

10.6 सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम

1998–99 के दौरान मुख्यालय, क्षेत्रीय परिषदों और ए तथा ए–1 ग्रेड की शाखाओं ने 20 सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया और 561 विद्यार्थियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया।

समसामयिक परिवर्तनों की जानकारी में पीछे न रह जाने को ध्यान में रखते हुए एस एम टी पी के पाठ्य–विवरण को पुनर्गठित किया गया, जिसमें व्यवसाय से संगत और नए क्षेत्रों पर अधिक बल दिया गया।

11. जन सम्पर्क और नियोजन

11.1 जन सम्पर्क

1998–99 में कम्पनी सचिवों द्वारा विभिन्न प्रकार की व्यापक सेवाएं प्रदान करने, "कम्पनी सचिव के रूप में कैरियर" पर 'विस्तृत–विवरण' अर्थात् राइट–अप' सहित इंस्टीट्यूट के उद्देश्य और कार्यों पर प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया पर विशेष लेखों का प्रकाशन/प्रसारण होता रहा है और इस प्रकार व्यापक रूप से देश भर में विद्यार्थी समुदाय में और निगम क्षेत्र में कम्पनी सचिवों के व्यवसाय के प्रति जागरूकता/स्वीकार्यता पैदा करने का अभियान जारी रहा है। अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं के प्रमुख समाचार पत्रों में समय समय पर अध्यक्ष और सचिव महोदय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियां एवं महत्त्वपूर्ण समाचार एजेंसियो–पी टी आई, युनाइटिड न्यूज आफ इण्डिया (यू एन आई) ओर यूनीवार्ता के माध्यम से जारी हुई, जिससे इंस्टीट्यूट को पूरे भारत के मीडिया में अधिकतम प्रकाशन मिल सका। कम्पनी सचिवो के व्यवसाय के बारे में कुछ प्रमुख साक्षात्कार 13.4.1998, 13.7.1998, 16.11.1998 14.12.1998 तथा 28.12.1998 के टाइम्स आफ इण्डिया के एजुकेशन टाइम्स में, 15.4.1998, 18.12.1998 के स्टेट्समेन मे, 21.5.1998 के

फिनाश्यल एक्सप्रेस (सभी संस्करणों में) में, 4–10.4.1998 के एम्पालाइमेंट न्यूज में और 17.9.1998 के हिन्दुस्तान टाइम्स (दि इन हास सेक्शन) में, 13.1.1998 के इण्डियन एक्सप्रेस में, 25.1.1999 के इकानामिक टाइम्स में, अगस्त 1998 के टीन्स टूडे (इण्डिया टुडे का प्रकाशन) में और मार्च 1999 के कम्पटीशन मास्टर के अंक में रंगीन पृष्ठों पर प्रकाशित हुए, जिससे देश के कोने कोने में कम्पनी सचिव व्यवसाय का संदेश फैला।

पहले ही तरह ही इस वर्ष भी इंस्टीट्यूट ने कैरियर मेलों में भाग लिया। मेलों में इंफार्मेटिव पैनल, पोस्टरों का प्रदर्शन किया और मेले में आने वाले अभिभावकों और विद्यार्थियों को कम्पनी सचिव व्यवसाय के बारे में जानकारी दी। विभिन्न क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में आयोजित अध्यक्ष महोदय के प्रेस सम्मेलनों के लिए प्रचार सामग्री और प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं। अगस्त 1998 और फरवरी 1999 में एक दर्जन से अधिक समाचार पत्रों ने कम्पनी सचिव परीक्षाओं के विस्तृत परिणाम प्रकाशित किए।

हिन्दी कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम 'नई पीढ़ी' में 16.2.1999 को 8.15 बजे रात्रि को सचिव द्वारा कम्पनी सचिव पाठ्यक्रम पर बी बी सी को दिया गया साक्षात्कार प्रसारित हुआ।

11.2 नियोजन

समय समय पर एकीकृत निगम प्रबन्धकों के रूप में कम्पनी सचिवों के नियोजन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रेस और टी वी साक्षात्कार आयोजित किए गए। संभावित नियोजकों के पास नियुक्ति के लिए सदस्यों के बायो–डाटा भेजे गए। विभिन्न समाचार पत्रों और व्यापार–पत्रिकाओं में कम्पनी सचिवों की रिक्तियों को प्रकाशित किया गया। इस वर्ष समय समय पर सरकारी, नियमित प्राइवेट और सार्वजनिक क्षेत्र के कम्पनियों, बहु–राष्ट्रीय कम्पनियों के पास सदस्यों की सूची भेजी गई। जो जानकारी विभिन्न सूत्रों से मिली है, उसके अनुसार नियोजन प्रकोष्ठ के प्रयासों से अनेक सदस्यों को समुचित नौकरी मिली है। पूरे वर्ष विभिन्न नियोजन परार्शदाताओं से सम्पर्क बनाएं रखा गया और समुचित नियुक्ति के लिए उनके जीवन वृत्त भेजे गए। वित्तीय संस्थानों के विभिन्न मानव संसाधन विभागों को अनेक पत्र भेजे गए, जिनमें उन्हें कम्पनी सचिवों की बहुआयामी भूमिका की जानकारी दी और सुझाव दिया कि वे अपने विभिन्न विभागों में इनकी नियुक्ति करें। इसी प्रकार के पत्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और बहु–राष्ट्रीय कम्पनियों को भी भेजे गए। इस बात के प्रयास जारी है कि इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर कम्पनी सचिवों की रिक्तियां दिखाई जाएं।

12. लेखे

12.1 अधिशेष

इस वर्ष के लेखों के अंत में 181.84लाख रुपये के अधिशेष को सामान्य रिजर्व में डाला गया जब कि इसकी तुलना में 1997–98 वर्ष में 248.05 लाख रुपये की अधिशेष राशि अन्तरित की गई थी।

12.2 रिजर्व

(क) पूंजी रिजर्व

31 मार्च 1999 को सवस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क के पूंजी रिजर्व की पूंजीकृत 52.74 लाख रुपये थी, जबकि 31 मार्च 1998 को यह राशि 50.74 लाख रुपये थी।

(ख) सामान्य रिजर्व

पिछले वर्ष 31 मार्च 1998 को जो सामान्य रिजर्व 1641.69 लाख रुपये था, वह अब बढ कर 31 मार्च 1999 को 1823.90 लाख रुपये हो गया है।

12.3 सांविधिक लेखा परीक्षक

कम्पनी सचिव अधिनियम 1980 की धारा 18(4) के अनुसरण में मैसर्स खन्ना एंड अन्नाधनम, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स नई दिल्ली को 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट का सांविधिक लेखा परीक्षक पुनः नियुक्त किया गया। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट लेखा विवरण के साथ प्रकाशित की गई है।

13 भूमि और भवन

13.1 आई सी एस आई – एन आई आर सी भवन

उत्तरी भारत क्षेत्र परिषद कार्यालय और पुस्तकालय भवन 4, प्रसाद नगर इंस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली में कार्य कर रहे है।

13.2 फरीदाबाद शाखा की भूमि

इस शाखा ने फरीदाबाद के सेक्टर 16ए में हरियाणा नगर विकास प्राधिकरण (हूडा) से 3.65 लाख रुपये में 500 वर्ग गज का एक भूखंड खरीदा है। यद्यपि हूडा ने फरीदाबाद शाखा को आवंटन पत्र और कब्जे का पत्र जारी कर दिया था, परन्तु इस संपत्ति के बारे में कुछ पुराने विवाद के कारण हूडा ने इस भूखंड का कब्जा अभी शाखा को नहीं सौंपा है। हूडा ने एक दूसरा प्लाट अलाट करने और उसका कब्जा देने की सिफारिश की है। आगे के ब्यौरे/प्रगति की प्रतीक्षा है।

13.3 नौयडा भूमि

इंस्टीट्यूट ने 1375 वर्ग मीटर भूमि का एक प्लाट नौयडा के सैक्टर 62, फेज–2, इंस्टीट्शनल एरिया में 34.38 लाख रुपये में खरीदा है। इंस्टीट्यूट ने इसका कब्जा ले लिया है और भवन का निर्माण कार्य चल रहा है।

13.4 मदुरई शाखा परिसर

इस्टीट्यूट ने मदुरई शाखा के लिए सी–3, तीसरी मंजिल, ए आर प्लाजा, 16/17 नार्थ वेली स्ट्रीट, मदुरई–625001 में बना बनाया परिसर खरीदा है, जिसकी कुल लागत 10,40,000 रुपये है। नए कार्यालय का औपचारिक रूप से उद्घाटन इंस्टीट्यूट के तत्कालीन अध्यक्ष श्री बी. पी. धनुका ने 14 दिसम्बर 1998 को किया।

14. शाखाओं को पूंजीगत अनुदान और ऋण

इंस्टीट्यूट ने अपनी क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं को 31 मार्च 1998 तक अपना कार्यालय भवन लेने के लिए जो अनुदान और ऋण दिया है उसका ब्यौरा इस प्रकार है:

(क) अनुदान 97.34 लाख रुपये

(ख) ऋण 85.63 लाख रुपये

इस्टीट्यूट का प्रयास है कि क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं द्वारा अपने काम काज के लिए भवन लेनें के प्रयासो में उनकी सहायता करे और इस संबंध में पूरक राशि दे। कुछ क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं में अपने कार्यालय स्थल/भवन परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए जबरर्दस्त प्रयास किये हैं। परिषद इन क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं द्वारा किये गए इन प्रयासों की प्रशंसा करती है।

15. कम्पनी सचिव हितकारी निधि (सी एस बी एफ)

15.1 सी एस बी एफ के सदस्यों में वृद्धि

सी एस बी एफ के आजीवन सदस्यों की संख्या 31 मार्च 1999 को 2914 थी। पिछले वर्षों में सदस्यों की संख्या धीरे–धीरे बढ़ती रही है। 31 मार्च 1999 को पूंजी रिजर्व 60.40 लाख रुपये और सामान्य रिजर्व 19.59 लाख रुपये था।

15.2 इस निधि में और अधिक सदस्यों को प्रवेश कराने के लिए प्रयास जारी है। इससे वित्तीय संकट के समय सदस्यों को बेहतर वित्तीय सहायता तथा मृत्यु, लम्बी बीमारी, दुर्घटना आदि के कारण कठिनाई में उनके परिवारों को और अधिक लाभ दिए जा सकेंगे। यह अपने आप में बीमा जैसा उपाए है। 1000 रुपये के आजीवन सदस्यता शुल्क को आय कर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत छूट प्राप्त है।

16. मानव संसाधन विकास

16.1 सदस्यों, विद्यार्थियों और अन्य ग्राहकों को कुशल सेवाएं प्रदान करने में व्यावसायिक उत्कृष्टता की प्रमुख भूमिका रहती है। व्यावसायिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आई सी एस आई प्रबन्धन का निश्चित विश्वास है कि सूक्ष्म स्तर पर मानव संसाधन विकास का होना अनिवार्य है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को यह समझाने का हर तरह से प्रयास किया गया कि विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा को देखते हुए तेजी से बदलते निगम–जगत के संदर्भ में 'अपने रूख में सकारात्मक परिवर्तन करने' और ग्राहकों को कुशल सेवाएं प्रदान के लिए अपने को उपयुक्त बनाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के 'इन हाउस' मानव संसाधन विकास कार्यक्रम रखे गए। इसके अलावा, विभिन्न वाह्य एजेंसियों में भी अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण और विकास–कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजा गया। साथ ही, उत्पादकता में सुधार के लिए सूचना तकनालाजी के क्षेत्र में नवीन तकनालाजी के प्रयोग की महत्ता को स्वीकार किया गया तथा इंस्टीट्यूट में कम्प्यूटर संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जोरदार प्रयास किए गए। इस प्रयास में 40 अधिकारियों और कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रयोग में प्रशिक्षण दिया गया।

1998–99 में कुल मिला कर 160 कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों में नामजद किया गया। इंस्टीट्यूट की कुल कर्मचारियों की संख्या का यह 60 प्रतिशत है। इसके अलावा व्यावसायिक संगठनों की सदस्यता–फीस की आपूर्ति अधिकारियों की गई ताकि वे अपने विशेषज्ञता–क्षेत्रों में उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक सम्बद्धता प्राप्त करने की कोशिश करें।

16.2 कर्मचारियों के साथ संबंध और कल्याण

आई सी एस आई कर्मचारी संघ के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रहे। इसके फलस्वरूप पूरे वर्ष नियोक्ता–कर्मचारियों के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध बने रहे। आई सी एस आई कर्मचारी संघ ने इंस्टीट्यूट में कम्प्यूटर संस्कृति को बढ़ावा देने समेत इंस्टीट्यूट की समग्र वृद्धि और विकास के संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने में अपना पूरा सहयोग दिया। आई सी एस आई एमपालाईज क्लब और शिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी ने वर्ष भर विभिन्न सांस्कृतिक और कल्याणकारी गतिविधियां जारी रखीं।

17. भावी दृष्टिकोण

भूमण्डलीकरण और सूचना तकनालाजी में उच्च प्रगति ने निगम परिदृश्य को ज्ञान उद्योग में परिवर्तित कर दिया है और बाजारो में अत्यधिक तीव्र गति और प्रतिस्पर्धात्मकता पैदा हो गई है, जिससे निगम व्यवसाय में काम करने वालों के सामने नए क्षेत्र, अवसर और चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। कम्पनी सचिवों का दायरा भी कहीं दूरगामी प्रभावों को लेकर प्रमुख रूप से बदल रहा है।

इस दिशा में विभिन्न उदीयमान क्षेत्रों में ज्ञान के विकास की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके लिए ढांचागत अल्पावधि का सहभागी प्रमाण–पत्र कार्यक्रम (पार्टिसिपेटिव सर्टिफिकेट प्रोग्राम) शुरू किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं वर्तमान मुद्दों और अवसरों के साथ साथ अपनी प्रतिभा बनाए रखने में कम्पनी सचिवों की भूमिका पिछड़ न जाए। इन प्रयासों के साथ वस्तुपरक दृष्टि परिप्रेक्ष्य को उत्पन्न किया जाता है ताकि कम्पनी सचिव पूरे विश्व में प्रचलित अच्छे से अच्छे विचारों और पद्धतियों को पहचानें, मूल्यांकन करे और उन्हें लागू करें ताकि वे प्रतिस्पर्धा में किसी तरह पराजित न हों।

18. आभार

परिषद केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों और विशेष रूप से कम्पनी कार्य विभाग और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 'सेबी' के प्रति उनके द्वारा इस वर्ष व्यवसाय और इंस्टीट्यूट की गतिविधियों के विकास में सहायता व मार्गदर्शन तथा समर्थन प्रदान करने के लिए आभार प्रगट करती है। परिषद विभिन्न राज्य सरकारों वित्तीय/औद्योगिक/निवेश संस्थानों/सामान्य रूप से निगम क्षेत्र और देश में विभिन्न चैम्बर्स ऑफ कामर्स और ट्रेड एसोसिएशनों तथा अन्य एजेंसियों के प्रति भी आभार प्रगट करती है, जिन्होंने इंस्टीट्यूट के सदस्यों की सेवायें लेने में और निगम विधि, वित्त प्रबंधन तथा संबद्ध क्षेत्रों में इनकी विशेषज्ञता को मान्यता प्रदान करने में लगातार रूचि बढ़ाई है। परिषद, क्षेत्रीय परिषद और इनकी शाखाओं द्वारा प्रदान की गई सहायता और सहयोग तथा इंस्टीट्यूट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भी अपनी ओर से अत्यधिक सराहना करती है, जिन्होंने बड़ी निष्ठा और कर्तव्य की भावना से काम किया।

कृते इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की परिषद

वीरेन्द्र गंडा, अध्यक्ष

नई दिल्ली

तारीख : 8 अगस्त 1999

परिशिष्ट 'क'

स्थायी समितियां

1. अनुशासन समिति

सर्वश्री

वीरेन्द्र गंडा, अध्यक्ष	चेयरमैन
एस गंगोपाध्याय	सदस्य
आर डी जोशी	सदस्य

2. परीक्षा समिति

जे. श्रीधर, उपाध्यक्ष	चेयरमैन
एस गंगोपाध्याय	सदस्य
हरीश के. वैद	सदस्य

3. कार्यकारी समिति

वीरेन्द्र गंडा, अध्यक्ष	चेयरमैन
जे. श्रीधर, उपाध्यक्ष	सदस्य
बी.पी. धनुका	सदस्य
आर डी जोशी	सदस्य
एस. रामबद्रन	सदस्य

अन्य समितियां

4. व्यावसायिक विकास समिति

वीरेन्द्र गंडा, अध्यक्ष	चेयरमैन
के चन्द्रशेखरन	सदस्य
एस. गंगोपाध्याय	सदस्य
पी. वी. एस. जगनमोहन राव	सदस्य
पवन कुमार विजय	सदस्य

5. प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों की समिति

बिपिन एस आचार्य	चेयरमैन
एस. गंगोपाध्याय	सदस्य
एस डी इसरानी (डॉ०)	सदस्य
वी श्रीधरन	सदस्य

6. प्रशिक्षण तथा शिक्षण सुविधा समिति

जे. श्रीधर, उपाध्यक्ष	चेयरमैन
के चन्द्रशेखरन	सदस्य
नैना आर देसाई (श्रीमती)	सदस्य
पी एस शर्मा (डॉ०)	सदस्य
वी श्रीधरन	सदस्य
हरीश के. वैद	सदस्य
पवन कुमार विजय	सदस्य
पी. वी. एस. जगन मोहन राव	सदस्य

7. सदस्यता--पश्च अर्हता पाठ्यक्रम समिति

जे. श्रीधर, उपाध्यक्ष	चेयरमैन
एस. गंगोपाध्याय	सदस्य
हरीश के. वैद	सदस्य

8. रोजगार–सहायता समिति

के चन्द्रशेखरन	चेयरमैन
पी. वी. एस. जगनमोहन राव	सदस्य
पवन कुमार विजय	सदस्य

9. विनियम समिति

वीरेन्द्र गंडा, अध्यक्ष	चेयरमैन
नैना आर देसाई (श्रीमती)	सदस्य
एस. डी. इसरानी (डॉ0)	सदस्य
कुमार डी. कापसी	सदस्य
एस. रामबद्रन	सदस्य
बिपिन एस. आचार्य	सदस्य

10. समन्वय समिति

वीरेन्द्र गंडा, अध्यक्ष	चेयरमैन
जे. श्रीधर, उपाध्यक्ष	सदस्य
वी. पी. धनुका	सदस्य
कुमार डी कापसी	सदस्य
पी एस शर्मा (डॉ0)	सदस्य

11. संपादकीय सलाहकार बोर्ड

एस. बालासुब्रह्मण्यम	चेयरमैन
गिरीश आहूजा	सदस्य
राहुल भटनागर	सदस्य
वी के भल्ला (प्रोफेसर)	सदस्य
बी. डी. बिश्नोई	सदस्य
के. एम. चन्द्रशेखर	सदस्य
दिलीप गोस्वामी	सदस्य
जयलक्ष्मी जयरामन (डॉ) (श्रीमती)	सदस्य
अनूप मिश्रा	सदस्य
यू सी नाहटा	सदस्य
ए के पोद्दार	सदस्य
आर. के. पाण्डे	सदस्य
आदिति एस रे (सुश्री)	सदस्य
पी. एस. शर्मा (डॉ0)	सदस्य
वी. के. सिंघानिया (डॉ0)	सदस्य
एस. पी नारंग (डॉ0)	सम्पादक एवं प्रकाशक

12. विशेषज्ञ सलाहकार ग्रुप

माननीय श्री जस्टिस ए एम अहमदी	चेयरमैन
आर एन बंसल	सदस्य
यू के चौधरी	सदस्य
अशोक छाबड़ा	सदस्य
नैना आर देसाई (श्रीमती)	सदस्य
एस गंगोपाध्याय	सदस्य
एस डी इसरानी (डॉ0)	सदस्य
आर. कृष्णन	सदस्य

13. नौयडा भवन समिति

आर एन बंसल	चेयरमैन
गिरीश आहूजा	सदस्य
एन के जैन	सदस्य
आर के पांडे	सदस्य
हरीश के वैद	सदस्य
एन. के. अग्रवाल (वरिष्ठ निदेशक)	सदस्य सचिव

पदेन सदस्य

वीरेन्द्र गंडा, अध्यक्ष, आई सी एस आई

जे. श्रीधर, उपाध्यक्ष, आई सी एस आई

एस पी नारंग (डॉ0), सचिव, आई सी एस आई

14. सी सी आर टी भवन समिति

ए के मोदी	चेयरमैन
बिपिन एस आचार्य	सदस्य
एन एल भाटिया	सदस्य
नैना आर देसाई (श्रीमती)	सदस्य
एस डी इसरानी (डॉ0)	सदस्य
कुमार डी कापसी	सदस्य
पी पी मिस्त्री (डॉ0)	सदस्य
आर रामचन्द्रन	सदस्य

पदेन सदस्य

वीरेन्द्र गंडा, अध्यक्ष, आई सी एस आई

जे. श्रीधर, उपाध्यक्ष, आई सी एस आई

एस पी नारंग (डॉ0), सचिव, आई सी एस आई

15. सी सी आर टी प्रबंधन समिति

वीरेन्द्र गंडा, अध्यक्ष	चेयरमैन
जे. श्रीधर, उपाध्यक्ष	सदस्य
बिपिन एस. आचार्य	सदस्य
नैना आर देसाई (श्रीमती)	सदस्य
बी. पी. धनुका	सदस्य
एस डी इसरानी (डॉ0)	सदस्य
पी. वी. एस. जगन मोहन राव	सदस्य
आर. डी. जोशी	सदस्य
कुमार डी कापसी	सदस्य

ए. के. मोदी	सदस्य
एस. पी. नारग (डॉ0)	सदस्य सचिव

16. सी सी आर टी सलाहकार बोर्ड

माननीय श्री जस्टिस एम एन वेंकटचलैय्या, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश और अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	अवैतनिक चेयरमैन
माननीय जस्टिस अशोक ए देसाई, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश	सदस्य
जी पी गुप्ता, अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट बैंक आफ इण्डिया	सदस्य
मोहेन्द्र एन कौडा (प्रो0) प्रबन्धन सलाहकार, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज आफ इण्डिया	सदस्य
आर ए माशेल्कर (डॉ0) महानिदेशक, सी एस आई आर तथा सचिव, विज्ञान और तकनालाजी विभाग	सदस्य
एन एल मित्रा, (प्रो0) नेशनल लॉ स्कूल आफ इण्डिया यूनिवर्सिटी, बंगलौर	सदस्य
टी एस कृष्णामूर्ति, सचिव कम्पनी कार्य विभाग	सदस्य
राजन नन्दा अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, एस्कोर्ट्स लि0	सदस्य
पी वी नरसिम्हन, अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, इण्डस्ट्रियल फिनांस कार्पोरेशन आफ इण्डिया	सदस्य
वी एच पाण्ड्या, पूर्व सीनियर एक्जीक्युटिव डायरेक्टर, सेबी	सदस्य
एन विट्टल, आइ ए एस, अध्यक्ष, केन्द्रीय सतर्कता आयोग	सदस्य

पदेन सदस्य

वीरेन्द्र गंडा, अध्यक्ष, आई सी एस आई
जे. श्रीधर, उपाध्यक्ष, आई सी एस आई
एस पी नारंग (प्रो0), सचिव, आई सी एस आई
डीन, आई सी एस आई – सी सी आर टी

17. कम्प्यूटर समिति

पवन कुमार विजय

18. भावी योजना ग्रुप

सी आर शाह	चेयरमैन
के. आर चन्द्रात्रे (डॉ0)	सदस्य
एस डी इसरानी (डॉ0)	सदस्य
आर कृष्णन	सदस्य
डी के प्रहलाद राव	सदस्य
डी बी सक्सेना	सदस्य
एस पी नारंग (डॉ0)	सदस्य सचिव

19. चुनाव सुधार समिति

बिपिन एस आचार्य

परिशिष्ट 'ख'

1 गांधीनगर में 24–25 जुलाई, 1998 को 'कम्पनी सचिवों के लिए प्रेक्टिस के प्रतिपादित क्षेत्र' विषय पर दो दिन की आवासीय कार्यशाला।

2. नई दिल्ली में 3–7 अगस्त 1998 को केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा के अधिकारियों के लिए पांच दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम।

3. नई दिल्ली में 7 अगस्त 1998 को 'बौद्धिक समपदा अधिकारो' पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी।

4. नई दिल्ली में 5 अगस्त 1998 को 'कार्पोरेट विजन–21वीं शताब्दी' पर भारत के स्वर्ण जयंती समारोहों संबंधी स्मारक व्याख्यान माला।

5. नई दिल्ली में 29 अगस्त 1998 को 'डेरीवेटिव्स' पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी।

6. नई दिल्ली में अक्तूबर 1998 को 'सूचना तकनॉलॉजी' पर विचार गोष्ठी।

7. पुणे में 12–14 नवम्बर 1998 को 'अगली सहस्राब्दि में निगम विधि' पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन।

8. नई दिल्ली में 13 दिसम्बर 1998 को आई सी ए डी आर के साथ मिल कर संयुक्त रूप से आई सी एस आई और बी सी आई द्वारा 'विवाद समाधान' पर आयोजित सम्मेलन।

9. कलकत्ता में 12–13 सितम्बर 1998, चेन्नई में 26–27 सितम्बर 1998 और नई दिल्ली में 19–20 दिसम्बर 1998 को 'कम्पनी सचिवों के लिए प्रेक्टिस के प्रतिपादित क्षेत्र' विषय पर दो दिन की कार्यशाला।

10. नवी मुम्बई में 22–23 जनवरी 1999 को 'प्रतिभूतियों के विभौतिकरण' (डिमेटिरियलाइजेशन ऑफ सिक्यूरिटीज) पर दो दिन की कार्यशाला।

11. हैदराबाद में 3–5 फरवरी 1999 को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इण्डिया के साथ संयुक्त रूप से 'मर्जर्स एंड एक्वीजिशन्स' (विलयन और अधिग्रहण) पर आयोजित तीन दिन का कार्यक्रम।

12. दिल्ली में 25–28 फरवरी 1999 को आई सी ए डी आर के संयुक्त रूप से वैकल्पिक विवाद समाधान पर चार दिन का 'पार्टिसिपेटिव सर्टिफिकेट' (सहभागी प्रमाण पत्र) कार्यक्रम।

13. हैदराबाद में 24–27 मार्च 1999 को वैकल्पिक विवाद समाधान पर चार दिन का 'पार्टिसिपेटिव सर्टिफिकेट' (सहभागी प्रमाण पत्र) कार्यक्रम।

परिशिष्ट (ग)

वर्ष 1998–99 के दौरान आयोजित

परीक्षाओं के परीक्षा – केन्द्रों की सूची

1 आगरा	2 अहमदाबाद	3 इलाहाबाद	4 अम्बाला शहर	5 बंगलौर	6 बड़ौदा
7 भोपाल	8 भुवनेश्वर	9 कलकत्ता	10 चण्डीगढ़	11 चेन्नई	12 कोयंबटूर
13 दिल्ली (पूर्व)	14 दिल्ली (उत्तर)	15 दिल्ली (दक्षिण)	16 दिल्ली (पश्चिम)	17 एरनाकुलम	18 गाजियाबाद
19 गुवाहाटी	20 हैदराबाद	21 इन्दौर	22 जयपुर	23 जम्मू	24 जमशेदपुर

25 जोधपुर	26 कानपुर	27 लखनऊ	28 लुधियाना	29 मदुरई	30 मंगलौर
31 मेरठ	32 मुंबई (सी)	33 मुंबई (एम)	34 मुंबई (वी पी)	35 मैसूर	36 नागपुर
37 नौयडा	38 पणजी	39 पटना	40 पाण्डिचेरी	41 पुणे	42 राजकोट
43 रांची	44 शिमला	45 तिरूवनंतपुरम	46 त्रिचुरापल्ली	47 उदयपुर	48 विजयवाड़ा
49 विशाखापत्तनम	50 यमुना नगर	51 विदेशी–केन्द्रः दुबई			

परिशिष्ट 'घ I'

परीक्षाओं में बैठे और उत्तीर्ण विद्यार्थियों के आंकड़े

I. जून 1998 का सत्र

परीक्षा–स्तर	परीक्षार्थियों की संख्या			
	नामांकित	बैठे	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत
फाउंडेशन	10588	8393	1835	21.82
इंटरमीडिएट*				
ग्रुप–1	20852	12711	1756	13.81
ग्रुप–2	20290	12913	2268	17.56
फाइनल**				
ग्रुप–1	3507	2542	638	25.10
ग्रुप–2	3513	2367	397	16.77

* इण्टरमीडिएट के दोनों ग्रुपों में 2770 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से दोनों ग्रुपों में 288 ने परीक्षा पास की (10.4 प्रतिशत)।

** फाइनल के दोनों ग्रुपों में 619 परीक्षार्थी बैठे जिनमें से दोनो ग्रुपों में कुल 90 ने परीक्षा पास की (14.54 प्रतिशत)।

II. दिसम्बर 1998 सत्र

परीक्षा–स्तर	परीक्षार्थियों की संख्या			
	नामांकित	बैठे	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत
फाउंडेशन	9198	7396	1594	21.53
इंटरमीडिएट*				
ग्रुप–1	20947	12969	1631	12.58

ग्रुप–2	19645	12554	2003	15.96
फाइनल**				
ग्रुप–1	3859	2771	713	25.73
ग्रुप–2	4288	2971	458	15.42

* इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुपों में 3320 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से दोनों ग्रुपों में कुल 255 ने परीक्षा पास की (7.68 प्रतिशत)।

** इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुपों में 717 परीक्षार्थी बैठे जिनमें से दोनों ग्रुपों में कुल 87 ने परीक्षा पास की (12.13 प्रतिशत)।

परिशिष्ट 'घ–II'
पश्च सदस्यता अर्हता
(पी एम क्यू) परीक्षा – जून 1998

परीक्षा–स्तर	परीक्षार्थियों की संख्या			
	नामांकित	बैठे	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत
ग्रुप–1	56	27	3	11.11
ग्रुप–2	18	9	3	33.33

• दोनों ग्रुपों में 9 परीक्षार्थियों के नाम अंकित किए गए, जिनमे से 3 परीक्षार्थी दोनो ग्रुपों में बैठे और दोनों ग्रुपों मे एक परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुआ।

पश्च सदस्यता अर्हता
(पी एम क्यू) परीक्षा – दिसम्बर 1998

परीक्षा–स्तर	परीक्षार्थियों की संख्या			
	नामांकित	बैठे	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत
ग्रुप–1	44	25	3	12.00
ग्रुप–2	19	11	2	18.18

• दोनों ग्रुपों में 9 परीक्षार्थियों के नाम अंकित किए गए, जिनमे से 4 परीक्षार्थी दोनो ग्रुपों में बैठे और दोनों ग्रुपों में कोई भी परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित नहीं हुआ।

खन्ना एंड अन्नाधनम
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स

706, आकशदीप, 26ए, बाराखम्बा रोड,

पो. आ. बाक्स नं0 648

नई दिल्ली – 110 001

टेलीफोन: 3315119, 3315119, ग्राम: अलर्ट, नई दिल्ली

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने इस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के 31 मार्च 1999 के संलग्न तुलन पत्र तथा इसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखे का परीक्षण भी किया है और हमारी रिपोर्ट इस प्रकार है:

(क) हमें वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए, जो हमें अपेक्षित जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए प्राप्त करने आवश्यक थे।

(ख) रिपोर्ट का संदर्भाधीन तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखे रखी गई लेखा पुस्तकों और रिकार्डो से मेल खाते हैं।

(ग) जिस हद तक आदेशात्मक लेखांकन मानकों का अनुपालन लागू होता है, तदनुसार तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखे तैयार किए गए हैं।

(घ) हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है तथा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार ये विवरण इनके साथ दी गई टिप्पणियों के पढ़ने पर निम्नलिखित के बारे में लेखे सही और पर्याप्त स्पष्ट स्थिति प्रगट करते हैं:

(1) इंस्टीट्यूट के मामले से संबंधित 31 मार्च, 1999 को समाप्त अवधि के तुलन पत्र के बारे में स्थिति।

(2) उपर्युक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय व व्यय लेखे में अधिशेष से संबंधित स्थिति

कृते खन्ना एंड अन्नाधनम

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(के ए बालासुब्रह्मण्यन)

पार्टनर

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 8 अगस्त, 1999

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया, नई दिल्ली

31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च 1999			31 मार्च 1998		
निधि का स्रोत							
पूंजी रिजर्व	1			5,274,370			5,073,570
सामान्य रिजर्व	2			182,390,264			164,168,695
वैज्ञानिक अनुसंधान रिजर्व	3			6,132,690			4,021,656
चिकित्सा व्यय निधि	4			8,386,000			5,800,000
योग				202,183,324			179,063,921
निधि का प्रयोग							
स्थायी परिसम्पत्तियां	5						
सकल ब्लाक		70,245,160			63,832,203		
घटाए: मूल्य ह्रास		23,911,672			18,323,121		
			46,333,508			45,509,082	
जोड़ें भूमि क्रय/निर्माणाधीन			36,727,694			27,064,419	
भवन के लिए पेशगी							
				83,061,202			72,573,501
निवेश	6			92,093,100			87,800,193
चालू परिसंपत्तियां, ऋण और पेशगी							
चालू परिसंपत्तियां	7						
निवेश पर बना ब्याज		4,814,576			6,090,693		
हस्तगत स्टाक		1,240,359			5,206,213		
विविध देनदार		408,729			656,521		
नकदी और बैंक शेष		59,219,953	68,683,617		39,487,167	51,442,594	
ऋण और पेशगियां	8		16,457,925			16,229,979	
			85,141,542			67,672,573	
घटाये: चालू देयतायें	9						
और प्रावधान							
देयताएं		(36,226,128)			(32,726,320)		
प्रावधान		(21,886,392)	(58,112,520)	27,029,022	(16,256,026)	(48,982,346)	18,690,227
योग				202,183,324			179,063,921
लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां	15						

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
खन्ना एंड अन्नाधनम
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(के ए. बालासुब्रह्मण्यन)
पार्टनर

कृते और परिषद् की ओर से

(डा. एस. पी. नारंग)
सचिव

(जे. श्रीधर)
उपाध्यक्ष

(वीरेन्द्र गर्ग)
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 6 अगस्त, 1999

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज़ आफ इण्डिया, नई दिल्ली

31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष का आय तथा व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची	1998-99	1997-98
आय			
विद्यार्थियों तथा सदस्यों से शुल्क	10	98,301,124	103,468,973
प्रकाशनों की बिक्री		8,148,920	7,640,874
जर्नल और बुलेटिन का चन्दा और विज्ञापन		1,879,057	2,315,243
निवेश पर ब्याज (सकल)		16,637,231	16,960,925
स्रोत पर काटा गया कुल ब्याज–शून्य			
कार्यक्रमों से आय		4,465,189	4,034,504
अन्य आय	11	963,377	1,268,024
योग		130,394,898	135,688,543
व्यय			
स्थापना	12	37,775,132	35,854,723
डाक शिक्षण		10,017,696	13,004,772
प्रकाशन और कार्यालय स्टेशनरी		2,840,559	3,366,238
जर्नल और बुलेटिन		7,340,714	8,211,601
परीक्षा		12,406,612	10,152,133
सचार	13	4,437,110	4,761,524
क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं को अनुदान		4,536,425	3,531,739
क्षेत्रीय कार्यालय		924,185	505,006
यात्रा और सवारी		2,910,915	3,068,855
विद्यार्थियों को छात्रावृत्तियां और पुरस्कार		189,602	176,802
व्यावसायिक विकास कार्यक्रम और प्रशिक्षण		3,082,493*	3,207,722
चुनाव		0	612,714
अन्य व्यय	14	10,904,531	14,309,298
मूल्य ह्रास	5	5,642,308	3,320,580
कम्पनी सचिव कल्याण निधि में अंशदान		2,500,000	1,000,000
चिकित्सा व्यय निधि में अंशदान		1,200,000	800,000
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए प्रावधान		5,000,000	5,000,000
निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		500,581	0
योग		112,210,863	110,883,707
व्यय से अधिक आय जो सामान्य रिजर्व में ले जायी गई		18,184,035	24,804,836
योग		130,394,898	135,688,543

* पुणे शाखा, कम्पनी सचिव हितकारी निधि को और कर्मचारी कल्याण निधि में आवंटित 8,44,835 रुपये (पिछले वर्ष 4,74,226 रुपये) की अधिशेष राशि शामिल है।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

राजू एंड अन्नाथनम

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते और परिषद् की ओर से

(के.ए. बालासुब्रह्मण्यन)

पार्टनर

(डा. एस. पी. नारंग)	(जे. श्रीधर)	(वीरेन्द्र गंजा)
सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 8 अगस्त, 1999

अनुसूची–1

पूंजी रिजर्व

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 1999		31 मार्च 1998	
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		5,073,570		3,943,920
प्रवेश शुल्क–एसोसिएट सदस्य	160,200		183,600	
–फैलो सदस्य	40,600	200,800	66,000	249,600
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर पूंजीगत लाभ		0		880,050
योग		5,274,370		5,073,570

अनुसूची–2

सामान्य रिजर्व

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 1999		31 मार्च 1998	
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		164,168,695		138,149,483
घटाए: पुराने भवन के बारे में नए भवन (पुणे शाखा) के प्रति समंजन करने के लिए अंशदान का समायोजन		1,700,000		0
		162,468,695		138,149,483
जोड़ें:क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं से अंशदान				
–भूमि और भवन (जयपुर और मगलौर)	1,737,534		1,211,876	
–सीधे प्राप्त दान राशि	—		2,500	
		1,737,534		1,214,376
		164,206,229		139,363,859
जोड़ें: आय एवं व्यय लेखा के अनुसार अधिशेष		18,184,035		24,804,836
योग		182,390,264		164,168,695

अनुसूची–3

वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना (सी सी आर टी) रिजर्व

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 1998	31 मार्च 1999
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	4,021,656	1,729,188
जोड़ें: 31.3.1999 तक प्राप्त प्राप्त दान राशि/अंशदान	27,222,341	23,860,210
निर्धारित निधियो पर ब्याज	57,706	101,271
घटाए: आई सी एस आई द्वारा पश्चिम भारत क्षेत्रीय	31,301,703	25,690,669
परिषद को 31.3.1999 तक दिए गए अंशदान को	(25,169,013)	(21,669,013)
जेन्हे/पेशगियो में समायोजित किया गया (प्रति पक्ष) (– अनुसूची–8)	6,132,690	4,021,656

अनुसूची–4

चिकित्सा व्यय निधि

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च 1999	31 मार्च 1998
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	5,800,000	5,000,000
जोडे जमा राशियो पर ब्याज	1,416,000*	—
आय और व्यय लेखा से अंतरण	1,200,000	800,000
	8,416,000	5,800,000
घटाए: वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	30,000	—
योग	8,386,000	5,800,000

* इसमे 31 3 98 तक की अवधि के लिए 7.20 लाख रुपये शामिल है।

अनुसूची—5

स्थायी परिसंपत्तियों की अनुसूची

(राशि रुपयों में)

क्रम सं.	मद	सकल ब्लाक 1.4.1998 को लागत	वृद्धि	सकल ब्लाक कटौतियां	31.3.1999 को कुल लागत	मूल्य ह्रास 1.4.1998 की स्थिति	मूल्य ह्रास वर्ष के दौरान	कटौतियां	31.3.1999 को कुल जोड	निवल ब्लाक 31.3.1999 की स्थिति	31-31998 की स्थिति
1	पट्टे पर भूमि	10474485	0	0	10474485	0	0	0	0	10474485	10474485
2.	भवन	32593004	2950577	0	35543581	8516197	1386081	0	9902278	25641303	24076807
3.	फर्नीचर और जुडनार	2935955	253861	25630	3164186	2013273	224636	19766	2218143	946043	922682
4	कम्प्युटर नेटवर्क	8267371	1798683	0	10066054	2801127	2905970	0	5707097	4358957	5466244
5	एयरकण्डीश्नर इंस्टालेशन और कूलर	1424252	136758	0	1561010	950890	100136	0	1051026	509984	473362
6	बिजली के उपकरण	1711339	727675	0	2439014	688338	299738	0	988076	1450938	1023001
7	कार्यालय और सचार उपकरण	3602441	571209	0	4173650	1724290	368209	0	2092499	2081151	1878151
8	अन्य उपकरण	149129	54401	0	203530	70129	22672	0	92801	110729	79000
9	पुस्तकालय की पुस्तकें	2293639	0	54557	2239087	1403539	289816	33991	1659364	579718	890100
10	वाहन	380588	0	0	380588	155338	45050	0	200388	180200	225250
	इस वर्ष का योग	63832203	6493164	80187	70245180	18323121	5642308	53757	23911672	46333508	45509082
	पिछले वर्ष का जोड	61841788	3102767	1112352	63832203	15367571	3320580	365030	18323121	45509082	46474217
	पेशगियां (चालू निर्माण कार्य)										
1.	भूमि (द्वितीय टिप्पणियों की टिप्पणी स. 2 देखें)	300000	0	0	300000	0	0	0	0	300000	300000
2	भवन (निर्माणाधीन भवन)	22936177	10317781	2430823	30823135**	0	0	0	0	30823135	22936177
3	अन्य	3828242	1776317	0	5604559***	0	0	0	0	5604559	3828242
	इस वर्ष का जोड़	27064419	12094098	2430823	36727694	0	0	0	0	36727694	27064419
	पिछले वर्ष का जोड	11171662	15892757	0	27064419	0	0	0	0	27064419	11171662

* 29,54,922 रुपये (पिछले वर्ष 29,54 922 रुपये)

** 2,41,87,588 रुपये (पिछले वर्ष 2,01 87 212 रुपये)

नवी मुम्बई में वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना (सी.सी.आर.टी.) की राशि शामिल है।

*** मुम्बई में वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना (सी.सी.आर.टी.) से सबद्ध।

अनुसूची–6

निवेश–लागत पर

(राशि रुपयों में)

	विवरण	31.3.98	वृद्धि	विलोपन	31.3.99 की स्थिति
(क)	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की मियादी जमा राशि				
	– स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लि. (13.5%-14.5%)	14,505,000	-	1,605,000	12,900,000
	– नेशनल थर्मल पॉवर कार्पो. लि. (12 प्रतिशत–14 प्रतिशत)	5,500,000	-	5,500,000	
	– मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन (14.4 प्रतिशत–15 प्रतिशत)	5,500,000	-	-	5,500,000
	योग (क)	**25,505,000**	-	**7,105,000**	**18,400,000**
(ख)	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बंध–पत्र				
	– महानगर टेलिफोन निगम लि0 के एक–एक हजार रुपये के शून्य (पिछले वर्ष 2300) बंध पत्र	2,246,152	-	2,246,152	-
	– इण्डस्ट्रियल फिनान्स कार्पो. आफ इण्डिया के 15.5–16.5 प्रतिशत ब्याज के एक–एक लाख रुपये के 115 बंध–पत्र	11,500,000	-	-	11,500,000
	– इंडस्ट्रीयल फिनास कार्पोरेशन आफ इंडिया 15.5 (पिछले वर्ष 115) प्रतिशत ब्याज के पांच–पांच हजार के 800 (पिछले वर्ष 800) बंध–पत्र	4,000,000	-	-	4,000,000
	– भारतीय स्टेट बैंक के 14.5 प्रतिशत ब्याज के एक–एक हजार रुपये के 6000 (पिछले वर्ष 6000) बंध–पत्र	5,757,500	-	-	5,757,500
	– न्यूक्लियर पावर कार्पो. लि. के 16.25 प्रतिशत ब्याज के एक–एक लाख रुपये के 10 (पिछले वर्ष 10) बंध–पत्र	1,000,000	-	1,000,000	
	– इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट बैंक आफ इण्डिया के एक–एक लाख रुपये के 200 (पिछले वर्ष 200) ज़ीरो कूपन बंध–पत्र	13,616,954	2,144,640	-	15,761,594
	– इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया के 14 % ब्याज के एक–एक हजार रूपये के 600 (पिछले वर्ष शून्य) बंध पत्र	-	6,000,000	-	6,000,000
	– इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया के 14 % ब्याज के पाच–पांच हजार रूपये के 800 (पिछले वर्ष शून्य) बंध पत्र	-	4,000,000	-	4,000,000
	– स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के 16–16.75 प्रतिशत ब्याज के एक–एक लाख रुपये के 45 (पिछले वर्ष 45) बंध पत्र	4,500,000	-	-	4,500,000

–	नेशनल हाइड्रो–पावर कार्पो. लि. 17 प्रतिशत के एक–एक हजार के 9000 (पिछले वर्ष 11000) बंध–पत्र	11,000,000	-	2,000,000	9,000,000
	इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पो आफ इण्डिया लि. के 13.5 प्रतिशत ब्याज के पांच–पांच हजार रुपये के 1000 (पिछले वर्ष शून्य) बंध–पत्र	-	5,00,000	-	5,000,000
-	इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पो. आफ इण्डिया लि. के एक–एक हजार रुपये के 15.5 प्रतिशत ब्याज के 30 (पिछले वर्ष 30) बंध पत्र	29,880	-	-	29,880*
-	इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पो. आफ इण्डिया लि. के दस–दस हजार रुपये के 15.5 प्रतिशत ब्याज के 89 (पिछले वर्ष 89) बंध पत्र	890,000	-	-	890,000
	इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पो आफ इण्डिया लि के पांच–पांच हजार रुपये के 16 प्रतिशत ब्याज के 200 (पिछले वर्ष 200) बंध पत्र	1,000,000	-	-	1,000,000
–	इण्डियन रेलवे फिनान्स कार्पो. लि. के एक–एक हजार रुपये के 16.5 प्रतिशत ब्याज के 1000 (पिछले वर्ष 1000) बंध पत्र	980,000	-	-	980,000
	योग (ख)	**56,520,486**	**17,144,640**	**5,246,152**	**68,418,974**

(ग)	भारतीय यूनिट ट्रस्ट के (यू.एस.64–योजना के अधीन) यूनिट				
-	345983 यूनिट. (पिछले वर्ष 345983) यूनिटे	5,621,129	-	-	5,621,129**
–	10610 यूनिट (पिछले वर्ष 10610)	153,578			153578*
		5,774,707	-	-	**5,774,707**
	घटाएं. यूनिटों के मूल्यों में कमी का प्रावधान	-	-	500,581	(500581)
	योग (ग)	**5,774,707**	**0**	**500,581**	**5,274,126**
	कुल जोड (क+ख+ग)	**87,800,193**	**17,144,640**	**12,851,733**	**92,093,100**

* पुरस्कार प्रदान करने के लिए निर्धारित।

**31.3.1999 को भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यू एस–64 योजना के अधीन बाजार मूल्य 5,120,548 रुपये था।

अनुसूची–7

चालू परिसम्पत्तियां

(राशि रुपयों में)

विवरण		31.3.99			31.3.98		
निवेशो पर प्रोदभूत ब्याज				4,814,576			6,090,693
स्टॉक (प्रबधन द्वारा मूल्याकन, लिया गया और प्रमाणित)							
(क)	प्रकाशन		333,969			448,125	
(ख)	कागज		3,334,300			4,148,286	
(ग)	अध्ययन सामग्री		189,750			302,817	
(घ)	अन्य		**382,340**	4,240,359		**306,985**	5,206,213
विविध देनदार (असुरक्षित)							
(क)	राशि, जो छह महीने से अधिक समय से बकाया है।						
1	जिनकी वसूली की सभावना है।	88,505			85,540		
2.	जिनकी वसूली की संभावना संदिग्ध है।	76,500			43,050		
		165,005			128,590		
(ख)	अन्य (जिनकी वसूली की संभावना है)	320,224			572,981		
			485,229			701,571	
घटाएं: जिनकी वसूली की संभावना नहीं है और संदिग्ध है।			(76,500)			(43050)	
				408,729			658,521
नगदी और बैंक शेष							
(क)	हस्तगत नकदी, चैक, ड्राफ्ट और डाक टिकट/हस्तगत फ्रैकिंग यूनिट		710,450			1,304,417	
(ख)	अनुसूचित बैंकों के पास						
	– बचत बैंक खातों में जमा	12,019,325*			12,284,742		
	– अल्प अवधि खातों में जमा	--			-	-	
	– दीर्घ अवधि खातों में जमा –26,797 रुपये (पिछले वर्ष 26,542 रुपये) की पुरस्कार प्रदान करने की राशि और 58 लाख (पिछले वर्ष 50 लाख रूपये) की हस्पताल चिकित्सा निधि शामिल है।	41227284**			24,526,541		
	मियादी जमा पर प्रोद्भूत ब्याज:	5,262,894			1,371,467		
			58,509,503			38,182,750	
				59,219,953			39,487,167
	योग			68,683,617			51,442,594

* 10,42,151 रुपये (पिछले वर्ष 3,34,120 रुपये)

** 5,00,000 रुपये (पिछले वर्ष 5,00,000 रुपये)

नवी मुम्बई में वैज्ञानिक अनुसधान परियोजना (सी सी आर टी) के लिए निर्धारित राशि शामिल है।

अनुसूची–8

ऋण और पेशगियां

(राशि रुपयों में)

विवरण		31 मार्च 1999		31 मार्च 1998
ऋण:				
क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं के भवन		30,232,444		18,970,110
पेशगियां				
कर्मचारी	3,650,314		3,081,138	
क्षेत्रीय परिषदें/शाखायें	3,500,000		12,000,000	
अन्य	2,893,242		2,528,300	17,609,438
		10,043,556		
पूर्व प्रदत्त व्यय		196,213		206,319
विविध जमा राशियां		1,154,725		1,113,125
		41,626,938		37,898,992
घटाएं: आई सी एस आई से पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद को दिए गए अंशदान को वैज्ञानिक अनुसधान परियोजना रिजर्व में समायोजित किया गया (प्रति पक्ष)		25,169,013		21,669,013
(अनुसूची–3)	**योग**	**16,457,925**		**16,229,979**

अनुसूची–9

चालू देयतायें और प्रावधान

(राशि रुपयो मे)

विवरण	31.3.99		31.3.98	
चालू देयतायें				
अग्रिम प्राप्त राशिया				
– विद्यार्थियो से रजिस्ट्रेशन शुल्क	25,005,620		25,096,853	
– अन्य	460,993		347,120	
	25,466,613		25,443,973	
क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं को देय राशि	781,537		807,939	
विविध लेनदार	841,286		824,659	
देय व्यय	5,914,015		3,820,605	
हितकारी निधि				
– कंपनी सचिव	2,518,404		982,708	
– कर्मचारी	494,018	3,012,422	538,135	1,520,843
पुरस्कार प्रदान करने के लिए जमा राशि (प्रति पक्ष)	210,255		210,000	
न्यास	0		98,301	
		36,226,128		32,726,320
प्रावधान				
5वे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार देय अन्य लाभ	4,893,733		4,900,004	
स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना	10,000,000		5,000,000	
सम्पत्ति कर	4,215,376		3,962,674	
छुट्टी नकद भुगतान	941,600		1,200,000	
परिसम्पत्तियों को बट्टे खाते डालना	323,295		323,295	
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0		312,949	
अन्य	1,512,388		557,104	
		21,886,392		16,256,026
योग		58,112,520		48,982,346

अनुसूची–10

सदस्यों और विद्यार्थियों से शुल्क

(राशि रुपयो मे)

विवरण		1998–99		1997–98	
सदस्य					
	वार्षिक शुल्क	3,152,575		3,050,788	
	अन्य शुल्क	22,350		29,725	
			3,174,925		3,080,513
विद्यार्थी					
	पंजीकरण शुल्क	17,015,267		16,952,714	
	छूट शुल्क	2,899,348		2,654,893	
	डाक शिक्षण शुल्क	50,021,229		54,570,090	
	परीक्षा शुल्क	24,461,548		25,429,281	
	लाइसेंसधारी शुल्क	138,510		139,475	
	अन्य शुल्क (पी एम क्यू सहित)	590,297		642,007	
			95,126,199		100,388,460
	योग		**98,301,124**		**103,468,973**

अनुसूची–11

अन्य आय

(राशि रुपयों मे)

विवरण	1998–99	1997–98
निवेश पर प्रोत्साहन राशि	97,675	352,295
निवेश बिक्री से लाभ	133,848	283,345
कर्मचारी पेशगियों पर ब्याज	327,003	132,400
विशेषज्ञ परामर्शी सेवाए	0	2,000
परिसपत्तियो के निपटान से अधिशेष	13,036	228,873
वह राशि जिसके प्रावधान की अब आवश्यकता नहीं है, पुनः लिखित	312,949	114,147
विविध	78,866	154,964
योग	**963,377**	**1,268,024**

अनुसूची–12

स्थापना

(राशि रुपयों में)

विवरण	1998–99	1997–98
वेतन और भत्ते	31,598,704	28,958,478
अंशदान: भविष्य निधि:	2,297,235	1,944,712
उपदान निधि	1,019,644	1,369,395
पेंशन निधि	175,742	806,000
पश्च–सेवा निवृत्ति चिकित्सा योजना	34,080	121,440
कर्मचारी कल्याण	2649727*	2,654,698
योग	**37,775,132**	**35,854,723**

*कर्मचारी हितकारी निधि में अंशदान के 5.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 6.00 लाख रुपये) शामिल हैं।

अनुसूची–13

संचार

(राशि रुपयों में)

विवरण	1998–99	1997–98
डाक खर्च और तार	3,540,292	3,768,566
टेलीफोन, फैक्स और टेलेक्स	896,818	992,958
योग	4,437,110	4,761,524

अनुसूची–14

अन्य व्यय

(राशि रुपयों में)

विवरण		1998–99		1997–98
विज्ञापन और प्रचार		1,139,336		509,129
बैंक प्रभार		72,140		92,133
किराया, दर और कर		1538631*		4,806,295
बिजली और पानी		2,085,248		2,045,516
बीमा		60,866		51,037
मरम्मत और अनुरक्षण				
– भवन	873,020		426,977	
– मशीन/उपस्कर	472,147		507,080	
– वाहन	118,153	1,463,320	121,432	1,055,489
विधि और व्यावसायिक प्रभार		274,154		
कार्यालय व्यय		1,907,564		550,872
कम्प्युटरीकरण				1,304,241
– डाटा प्रोसेसिंग	699,686		1,596,329	
– साफ्टवेयर	662,942	1,362,628	911,850	2,508,179
बैठके		213,879		163,423
पैकिंग, ढुलाई और भाड़ा		533,709		659,069
घटाएं–परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान		20,566		96,303
लेखा परीक्षक शुल्क				
– लेखा परीक्षा शुल्क	52,500		50,000	
– अन्य सेवाएं	25,000		25,000	
		77,500		75,000
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		33,450		7,200
प्रदत्त ब्याज		121,540		62,117
परिसम्पत्तियों की समाप्ति		--		323,295
योग		**10,904,531**		**14,309,298**

* प्रसाद नगर और लोदी रोड़ के भवनों के बारे में सम्पत्ति कर के लिए 6,35,933 रुपये (पिछले वर्ष 29,30,942 रुपये) की राशि शामिल है।

अनुसूची–15

लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(क) लेखांकन नीतियां

1. क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं द्वारा दान राशियां और अंशदान

सीधे प्राप्त दान राशियों और क्षेत्रीय/शाखाओं द्वारा भूमि/भवनों की खरीद के लिए अंशदानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों को "सामान्य रिजर्व" खाते में ले जाया जाता है।

2. शुल्क

(क) फैलो और एसोसिएट सदस्यों से प्रवेश शुल्क को प्राप्त होने पर सीधे "पूंजी रिजर्व" खाते में दिखाया जाता है और उनकी प्रोद्भूत राशि नहीं बनाई जाती है।

(ख) सदस्यों से जितना शुल्क प्राप्त होता है, उतनी राशि नकद आधार पर हिसाब में ली जाती है। किन्तु अग्रिम मे प्राप्त शुल्क को देयता के रूप में आगे ले जाया जाता है।

(ग) पंजीकरण शुल्क को छोड़ कर विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क को नकद–आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पंजीकरण शुल्क को पांच वर्ष की अवधि में बराबर बांटकर आय के रूप में लिया जाता है, क्योंकि विद्यार्थियों को लाभ पांच वर्षों की अवधि तक मिलता है।

3. निवेश

निवेश का मूल्य लागत या बाजार मूल्य के अनुसार लिखा गया है। शून्य कूपन बंध पत्रों की लागत का बट्टे के सम्बन्धित हिस्से के कारण हुई बढ़ोतरी के अनुरूप क्रय–मूल्य के रूप में दिखाया है।

4. स्थायी परिसम्पत्तियां

(क) स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास को लिखित मूल्य आधार पर निम्नलिखित दरों के अनुसार प्रभारित किया जाता है:

मदें	प्रतिशत
भवन	5
फर्नीचर और जुड़नार	10
एयरकंडीशनर/कूलर/कम्प्यूटर तथा अन्य उपस्कर	15
पुस्तकालय की पुस्तकें	33.33
वाहन	20
कम्प्यूटर	40

(ख) परिवर्धनों पर मूल्यह्रास पूर्ण वर्ष के लिए प्रभारित किया जाता है, चाहे परिवर्धनों की तारीखें कुछ भी हों और बिक्री के वर्ष में मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाता है।

(ग) पुस्तकालय की पुस्तकों को छोड़कर, 5,000 रुपये या इससे कम मूल्य की स्थायी परिसम्पत्तियों का पूर्ण मूल्यह्रास उन परिसम्पत्तियों के प्राप्ति वर्ष में किया जाता है और जिनका अंकित मूल्य वर्ष के आरम्भ में 250 रुपये या इससे कम होता है, उनका पूरा मूल्यह्रास किया जाता है।

(घ) पट्टे पर भूमि के लिए दिए गए प्रीमियम को पट्टे की अवधि में संक्रामित नहीं किया जाता है।

5. इंवेंटरी

(क) कागज तथा अन्य सामग्री के स्टॉक का मूल्यांकन उनकी लागत पर किया जाता है।

(ख) अध्ययन सामग्री, प्रकाशनों, जर्नलों/बुलेटिनों और आडियो कैसेटों का मूल्य निम्नलिखित नाम–मात्र लागत के आधार पर लगाया जाता है: 50 रुपये तक की मूल्य वाली मदों के लिए 1 रुपये और 50 रुपये से अधिक मूल्य की मदों के लिए 5 रुपये।

6. कर्मचारी सेवा–वितृत्ति लाभ

(क) पेंशन निधि न्यास में अंशदान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ख) उपदान न्यास में अंशदान भारतीय जीवन बीमा निगम की ग्रुप उपदान योजना के अनुसार किया जाता है।

(ख) वित्तीय विवरण से संबंधित टिप्पणियां

1. इंस्टीट्यूट को वित्तीय वर्ष 1999–2000 तक के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23ग) (4) के अधीन छूट प्रमाण पत्र दिनांक 23–02–99 मिल गया है। उपर्युक्त धारा के अधीन आगे भी छूट मिलने की आशा को देखते हुए लेखों में कर का प्रावधान नहीं किया गया है।

2. हरियाणा नगर विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद ने 3.65 लाख रुपये में 500 वर्ग गज की जड खरीद भूमि का आवंटन इंस्टीट्यूट की फरीदाबाद शाखा के नाम किया था, परन्तु हूडा इसका कब्जा इस भूमि की मिल्कियत के विवाद के कारण नहीं दे सका और उसने एक दूसरा प्लाट देने का वायदा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया है। दूसरे प्लाट का आवंटन का मामला लटका रहने के कारण अभी तक भुगतान कर दी गई 3.65 लाख रुपये (3 लाख रुपये इंस्टीट्यूट की लेखा पुस्तक में भूमि खरीद के लिए पेशगी के रूप में दिखाए गए हैं और 65 हजार रुपये शाखा की लेखा पुस्तक में है) पेशगियों के अन्तर्गत चल रहे हैं।

3. वेतन और भत्तों के लिए पिछले वर्ष किए गए प्रावधान की बकाया 48.94 (पिछले वर्ष 49 लाख रुपये) लाख रुपये की राशि को इस लिए बनाए रखा है क्योंकि संभव है कि अंशदायी भविष्य निधि (सी पी एफ), पेंशन और उपदान की सीमाएं बढ़ जाने के कारण ट्रस्टों को भुगतान करना पड़ेगा।

4. पिछली पद्धति के अनुसार विवेकपूर्ण उपाय के रूप में प्रकाशनों/अध्ययन सामग्री की समापन इंवेट्री का मूल्यांकन नाम मात्र की राशि के रूप में किया गया है, क्योंकि चूंकि इन प्रकाशनों/अध्ययन सामग्री का महत्व विद्यार्थियों को छोड़ कर अन्य किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, और वह भी जब वे इन्हें खरीदते हैं।

5. संबंधित प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई मांग के आधार पर प्रसाद नगर के भवन के बारे में लेखों में 6.22 लाख रुपये के सम्पत्ति कर का प्रावधान किया गया है। यदि प्रावधान की गई राशि और भुगतान की जाने वाली राशि में कोई अन्तर होगा तो उसे उस वर्ष में हिसाब में लिया जाएगा, जिसमें वह मामला अन्तिम रूप से निपटाया जाएगा।

6. आई सी एस आई ने 8,19,950 रुपये की लागत वाले पुणे शाखा के भवन के बारे में बिक्री–करार किया है, इसका कब्जा सौंप दिया है और पूरी विक्रय–राशि प्राप्त कर ली है। किन्तु अभी तक इस बारे में हस्तांतरण पत्र नहीं हुआ है।

7. नई मुम्बई में सी सी आर टी के निर्माण तथा अन्य व्यय को पूरा करने के लिए इंस्टीट्यूट ने 31 मार्च 1999 तक 2,51,69,013 रुपये (31 मार्च 1998 तक 2,16,69,013 रुपये) की पेशगी दी है, जिसमें आई सी एस आई द्वारा पश्चिम भारत क्षेत्रीय परिषद् को भूमि की लागत के लिए दिया गया अंशदान शामिल नहीं है, जिसे क्रमशः "वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना (सी सी आर टी) रिजर्व लेखा" और "ऋण तथा पेशगियां" से प्रतिपक्ष प्रविष्टियां कर के घटा दिया है। आज तक 3,27,47,069 रुपये की कुल लागत की राशि को पेशगियों (निर्माणाधीन कार्य) के अन्तर्गत शामिल किया है और स्थायी परिसम्पत्ति अनुसूची में दिखाया गया है। किन्तु

उपर्युक्त उल्लिखित समायोजन से इंस्टीट्यूट के लेखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

8. स्वैच्छिक सवेानिवृत्ति योजना के बनने और मान्यता मिलने तक प्रस्तावित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस) के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भुगतानों के प्रावधान के लिए एक करोड़ रुपये की राशि वर्ष के अधिशेष में से अलग रखी गई है, उसे 'प्रावधान' शीर्ष के अन्दर रखा गया है।

9. (1) कम्प्यूटरों में पुरानापन जल्दी पड जाने के तत्त्व को देखते हुए इन पर मूल्यह्रास की दरों को 1.04.1998 से संशोधन कर के इसे 15 प्रतिशत से 40 प्रतिशत कर दिया है। इसके फलस्वरूप आय और व्यय लेखे में 18.16 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रभार डाला गया है।

(2) पुस्तकालय की पुस्तकों के बारे में उनकी जीवन–अवधि और संगठन में इनकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इन पुस्तकों के मुल्यह्रास की दरों में संशाधन करके इसे 20 प्रतिशत से 33.33 प्रतिशत कर दिया है। इसके फलस्वरूप आय और व्यय लेखे में 1.16 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रभार डाला गया है।

(3) वर्ष के दौरान खरीदी गई पुस्तकों से पहले पूंजीकृत करने की क्रियाविधि अपनाई जाती थी, परन्तु अब इस वर्ष के दौरान खरीदी गई पुस्तकों को "पुस्तकें और पत्रिकाएं" शीर्ष के अन्तर्गत आय और व्यय लेखा में डाला गया है। इस परिवर्तन के कारण आय और व्यय लेखा में 3,06,529 रुपये का अतिरिक्त प्रभार डाला गया है।

10. वसूल की जाने वाली पेशगियों के खाते में शेष बकाया राशि, क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं के ऋणों शेष राशियों की अभी पुष्टि होनी है।

11. जहां आवश्यक हुआ है, पिछले वर्ष के आंकड़ों की इस वर्ष के आंकड़ों से तुलना करने के लिए पुनः समूहीकरण/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

12. पहले की तरह ही इस बार भी क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के खातों को समेकित नहीं किया गया है।

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA
(Constituted under the Company Secretaries Act, 1980)
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 1999

F.No. 104/27/Accts.—Nineteenth Annual Report of the Council for the year ended 31st March, 1999.

❶ INTRODUCTION

In terms of the requirement of sub-section (5) of Section 18 of the Company Secretaries Act, 1980, the Council of the Institute of Company Secretaries of India is pleased to present this Nineteenth Annual Report and audited statements of accounts alongwith the Auditors Report thereon, on the working of the Institute for the year ended 31st March, 1999.

❷ DEVELOPMENTS

2.1 Proposed Amendments to the Company Secretaries Act, 1980

The Council of the Institute had made certain proposals to the Government for amending the Company Secretaries Act, 1980. The proposals included inclusion of definition of the term 'to be in employment', removal of monetary ceiling on maximum entrance and annual fees which can be charged from members, permission to members in practice to use the designation 'Company Secretary in Practice' and members in employment to use the designation given by the employer, provision for opportunity of representation to the Council before it considers report of the Disciplinary Committee in inquiries relating to professional or other misconduct, enabling provision to allow members in practice to have arrangements with members of professional bodies in or outside India for rendering professional services and permission to members in practice to issue advertisement or written communication containing the particulars regarding their qualifications, professional experience and nature of services rendered.

The Department of Company Affairs set up an Inter Institutes' Task Force of the three Institutes namely ICSI, ICAI and ICWAI in June 1998 for examining the various proposals submitted by the three Institutes for amendments in their respective Acts and recommending a common set of provisions relating to procedure in inquiries relating to professional or other misconduct of members.

The Task Force after holding two meetings arrived at a consensus, subject to some exceptions having regard to the constitution of the Council of each Institute and the nature of the profession. The proposals recommended by the Task Force were endorsed by the Council and forwarded to the Government for amending the Company Secretaries Act, 1980. The proposed amendments are under the active consideration of the Government.

2.2 Memorandum of Understanding with ICSA, U.K. Division

A Memorandum of Understanding (MOU) between the Institute of Company Secretaries of India and the Institute of Chartered Secretaries & Administrators, UK Division was signed on November 11, 1995 at Jaipur which recognised the common interest which both the Institutes have in promoting best practice in 'Company Secretaryship' and professional administration and to explore positive ways of ensuring a close relationship between the Institutes. After a series of correspondence and mutual exchange of evaluated answer scripts, while respecting confidentiality, and having been satisfied of the high standards of examinations and appreciating each other's activities in promoting excellence in professional education, both the Institutes signed a detailed MOU in November, 1998 at Pune whereby both the Institutes have agreed to grant paperwise exemptions on reciprocal basis. The members of the ICSI desiring to pass the qualifying examination conducted by ICSA, UK Division will be eligible for paperwise exemption in all but three of ICSA's examination, namely, Company Law, Administration of Corporate Affairs and Company Secretarial Practice. Likewise, the members of ICSA desiring to pass the qualifying examination conducted by the ICSI will be eligible for paperwise exemption in all but three of the ICSI's papers namely Corporate Law and Practice I, Corporate Law and Practice II, Corporate Law and Practice III. Both the Institutes have further agreed that an Associate or a Fellow Member of either Institute who has been a member in good standing for a minimum of two years and has passed the non-exempted papers of the qualifying examination of the other Institute will be admitted as a member of the other Institute. The MOU has been ratified by the Council and further modalities to give effect to the MOU are being worked out by the two Institutes.

2.3 26th National Convention

The 26th National Convention of Company Secretaries was held at Pune on November 12-14, 1998 on the theme *'Corporate Laws in the Next Millenium'*. Nearly 800 delegates attended the Convention which was an all time high participation. Delegates from United Kingdom and Sri Lanka also participated in the Convention. The deliberations were of a very high order. The Council places on record its appreciation for the efforts and initiative of the Pune Chapter and the WIRC in this regard. The Convention received prominent coverage both in print and electronic media. A full page Newspaper Supplement was published on the occasion in Indian Express, Loksatta and Financial Express.

2.4 Focussed attention on practising side of the profession and training and development of members

With a view to ensuring focussed attention on developing the practising side of the profession and training and development of members, the Council constituted a Committee for Company Secretaries in Practice as a full-fledged Committee of the Council and designated the year of 1999 as the year of developing members. A specific provision of Rs. 15 lacs has been made in the Institute's Budget for the year 1999-2000 towards training and development expenses for continuing education of members. A separate Directorate of Continuing Education has been created at the Headquarters of the Institute to pay continuous attention and to accelerate professional development activities and continuing education programmes for existing members as well as new entrants to the profession. Allround attention is being paid to develop and strengthen the practising side of the profession through specially designed participative certificate programmes, regular interaction with regulatory authorities as well as the users and potential users of the services of members in

practice. During the year, for the first time, exclusive workshops on popounding areas of practice for Company Secretaries were organised at Gandhinagar, Calcutta, Chennai and New Delhi. It was also decided to hold a National Conference of Company Secretaries in Practice during the year 1999 with a view to strengthen the existing areas of practice and to deliberate, explore and crystalize new and emerging areas of practice in the changing business scenario in the wake of global market economy under WTO. It was also decided to introduce during the year publication and mailing of CSP Update to all members in practice containing statutory amendments, Government notifications, circulars and clarifications on various areas relevant to them. An exclusive column has also been demarcated in Charatered Secretary for featuring information and material pertaining to members in practice.

2.5 Interaction with Ministries of Central Government, RBI, SEBI, Financial Institutions, etc.

Vigorous efforts continued to be made during the year towards development of the profession through regular meetings and interaction with the Department of Company Affairs, Economic Ministries, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, All India and State Financial Institutions, State Industrial Development Corporations, Stock Exchanges, Depositories, Banks, Insurance Companies, Apex and State level Chambers of Commerce and Industry etc. Besides image building and improving the visibility of the profession, efforts were made to propogate the range of services rendered by Company Secretaries and their suitability for performing various functions, besides legal compliances. Particular stress was laid on impressing upon the need and utility of Secretarial Audit and Secretarial Compliance Report, Due Diligence and Comfort Certificates by Company Secretaries in Practice and their value addition to management, Government and Regulatory authorities, lending institutions, investors and other stakeholders.

Meetings were also held with Ambassadors, High Commissioners, Commercial Counsellors of various countries to disseminate information on the services rendered by Company Secretaries.

2.6 Visit of Minister for Law, Justice and Company Affairs to the Institute

An event of great significance to the profession and the Institute was the visit of Hon'ble Dr. M Thambi Durai, the then Union Minister of Law, Justice and Company Affairs to the Institute Headquarters on May 5, 1998 and his address at the Council. The Council took the opportunity to request the Hon'ble Minister for providing exclusive practice areas to the Members and for giving a rightful place to the profession through the Companies Act. A set of Institute's suggestions on the Companies Bill, 1997 was also submitted to the Hon'ble Minister.

2.7 Recognitions to the Profession

Persistent efforts made by the Institute met with some success during the year. All the stock exchanges amended their listing agreement, in conformity with the SEBI directive, to provide for insistence by the company that Registrar and Share Transfer Agents (RTA) produce a certificate from a Company Secretary in Practice that all transfers have been completed within the stipulated time.

Bombay, Calcutta, Pune and Uttar Pradesh Stock Exchanges, as a further step towards safeguarding the interest of investors, have inserted an extended clause in their listing agreement obliging companies to ensure that RTA and/or inhouse share transfer facilities as the case may be, produce a certificate from a Company Secretary in Practice within one month of the end of each half of the financial year to the effect that all certificates have been issued within one month of the date of lodgement for transfer, sub-division, consolidation, renewal, exchange or endorsement of call/allotment monies and a copy of the same be made available to the Exchange within 24 hours.

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has issued a further directive to all stock exchanges to amend the listing agreement providing that the Compliance Officer to be appointed in compliance with the listing agreement shall be the company secretary of the company.

The Private Limited Company and Unlisted Public Company (Buyback of Securities) Rules, 1999 recently issued by the Department of Company Affairs, *inter alia* provides that a private limited or unlisted public company shall extinguish and physically destroy the bought back share certificates in the presence of the Company Secretary in whole-time practice. The rules further require a company to furnish a certificate to the Registrar of Companies duly verified by two Whole-time directors including a Managing Director and certified by Company Secretary in whole-time practice, certifying compliance of these rules including rules relating to destruction of certificates within seven days of the extinguishment and destruction of the certificates.

The Ahmedabad Stock Exchange has stipulated that all companies intimating forfeiture of their listed securities shall submit declaration, duly verified and authenticated by a Company Secretary in Practice, to the effect that the forfeiture of securities is done after giving due notice to the shareholders and in due compliance with the provisions under the Companies Act, 1956 as well as those contained in the Memorandum and Articles of Association, Prospectus/offer letter of the company. Further in the case of companies approaching the Ahmedabad Stock Exchange for voluntary delisting of securities, the declaration by the Managing Director is required to be duly verified and authenticated by a Company Secretary in Practice, to the effect that the provisions of SEBI guidelines on voluntary delisting, provisions of listing agreement and other requirements have been duly complied with.

The Gujarat State Financial Corporation has decided to accept our suggestion for allowing Company Secretaries in Practice exclusively for search reports and other work connected with the Office of the Registrar of Companies. It has also decided to accept due deligence certificate covering compliance of various laws such as Factories Act, Safety Provisions and other Local Acts exclusively from Company Secretary in Practice.

Gujarat Industrial Development Corporation has decided to accept certificates issued by the Company Secretary in Practice regarding share capital and shareholders of transferor and transferee company on the occasion of transfer of industrial plot/shed.

The Council places on record its appreciation for the efforts and the initiative of the Ahmedabad Chapter.

2.8 ICSI Centre for Corporate Research and Training (CCRT)

With the completion of the building of the ICSI Centre for Corporate Research and Training (CCRT) and its furnishing during the year, the CCRT became ready for operations, turning the dream of the Institute to set up a Centre to create a core of excellent corporate professionals for corporate governance and contribute to India emerging as an economic super power, into a reality. The Centre could not be formally inaugurated during the year due to the last minute change in the programme of the Chief Guest. Nonetheless, limited operations by way of organising certain professional development and continuing education programmes have commenced. The Council has constituted a CCRT Advisory Board consisting of eminent persons to advise on the various activities and operations of CCRT under the Chairmanship of Hon'ble Mr. Justice M N Venkatachaliah, Chairperson, National Human Rights Commission and former Chief Justice of India. The Council places on record its sincere gratitude and appreciation for Shri N.L. Bhatia, Chairman, CCRT Committee (1992-94) who conceived and visualised the need to have the Centre, Shri A.K. Modi, Chairman, CCRT Committee (1995-98) and Chairman, CCRT Building Committee (1999) whose tireless efforts coupled with his insight into the various intricacies of construction related matters, helped in turning the CCRT dream into reality, Dr. P.P. Mistry, Chairman, Finance Sub-Committee (1995-1999), who provided an excellent leadership and motivated everyone concerned to contribute his mite, all members of the successive CCRT Committees, Project Sub-Committees and Finance Sub-Committees.

2.9 Golden Jubilee Celebrations of India's Independence Commemoration Lecture

Golden Jubilee Celebrations of India's Commemoration Lecture on **Corporate Vision - 21st Century** was organised on August 5, 1998 in New Delhi. The Lecture was delivered by Hon'ble Mr. Justice M N Venkatachaliah, Chairperson, National Human Rights Commission and former Chief Justice of India. Shri T S Krishna Murthy, Secretary, Department of Company Affairs also addressed the gathering. The function was graced by Judges of Delhi High Court, Members of Parliament, Senior officials of the Government of India, Past Presidents, Council Members of the Institute and the Members of the profession in large numbers. The function was not only appreciated in the Government circles but also greatly improved the visibility of the profession amongst various segments of the society.

2.10 Training Programme for CCLS Officers

As in the past, at the behest of the Department of Company Affairs, the Institute organised a Five day Training Programme for the officers of the Central Company Law Service (CCLS) in New Delhi. The training programme attended by CCLS officers from all regions was highly appreciated by the participants as well as the Department of Company Affairs.

2.11 Conference on Dispute Resolution

A Conference on Dispute Resolution was organised on December 13,1998 in New Delhi jointly with Bar Council of India and in collaboration with the International Centre for Alternative Dispute Resolution. The well attended Conference was inaugurated by Hon'ble Mr. Justice A M Ahmadi, former Chief Justice of India. Hon'ble Mr. Justice D P Wadhwa, Judge, Supreme Court of India presided over and the Special Address was delivered by Rt. Hon'ble the Lord Cooke of Thorndon, KBE. Legal luminary, F S Nariman, Senior Advocate, Supreme Court of India, Dr. H R Bhardwaj, M. P., and Chairman, ICADR, Shri Anoop Mishra, Chairman, Bar Council of India, Shri B P Dhanuka, President and Shri Virender Ganda, Vice President, also addressed the Conference. The Conference, first of its type organised jointly with the Bar Council of India, was attended by the Supreme Court and High Court Judges, Senior Government officials, Chairman, CLB, Chairman, FERA Board, Members of Law Commission and CEGAT, academicians, Past Presidents and Council and other Members of the Institute and persons from the legal profession.

2.12 Recognition for pursuing Ph.D

Company Secretaryship qualification has been recognised by the Sambalpur University for registration for Ph.D. in topics related to Commerce/Management and related fields. So far 26 Universities have recognised Company Secretaries qualification for admission to their Ph.D. Course.

2.13 Professional Development and Continuing Education Programmes

Thirteen Professional Development Programmes including the 26th National Convention were held during the year under review. Details are given in Appendix 'B' to the Report.

2.14 New Publications

The Institute brought out the following new publications during the year :

1. Foreign Collaborations and Joint Ventures - Policies and Procedures.
2. Specimen of Secretarial Compliance Report and Check list for the Report.
3. Referencer on Propounding Areas of Practice for Company Secretaries.
4. Referencer on Alternative Dispute Resolution-Law and Practice.

2.15 Post Membership Qualification Course in Capital Markets and Financial Services

As on March 31, 1999, 321 members of the Institute have registered for the Post Membership Qualification (PMQ) Course in Capital Markets and Financial Services. The third and fourth sessions of examination of PMQ Course were held in June, 1998 and December, 1998 respectively at four centres, namely Calcutta, Chennai, Delhi and Mumbai. Statistics relating to the examination result is given in Appendix 'D' to the Report. Seven refresher/crash programmes were organised for members undergoing PMQ Course during the year.

2.16 Computerisation & Information Technology

The first phase of computerisation covering Students, Membership and Training Services, Finance and Stores has been completed. The second phase of computerisation covering the remaining activities of the Institute has been started. Internet and E-mail systems have been installed at head office, all the Regional Councils and Pune Chapter. E-mail system under LAN

has been implemented in the head office account for each Directorate. Results of the examination of June 1998 and December 1998 sessions were published through the ICSI web site. A Core Committee on Computerisation has been formed with Prof. T R Vishwanathan (Dr.), Director of INSDOC as its Chairman with a view to have guidance in the future computerisation activities of the Institute. Precautionary measures/actions have been taken to ensure that the hardware and software of the Institute become Y2K compliant.

❸ COUNCIL

3.1 President and Vice-President

At the 112th Meeting of the Council held on 1st January, 1999, Shri Virender Ganda from Northern Region and Shri J Sridhar from Western Region were elected as President and Vice President respectively for a period of one year from 1st January, 1999.

3.2 Meetings

Apart from various committee meetings, the Council held seven meetings during 1998-99.

3.3 Committees, etc.

Composition of various committees, expert groups and advisory boards constituted by the Council is given in Appendix 'A' to the Report.

❹ REGIONAL COUNCILS AND CHAPTERS

4.1 Regional Councils

The four Regional Councils continued to provide support and assistance to the Council by carrying out their activities and functions with great zeal and enthusiasm. The Regional Councils conducted career awareness programmes, phone-in programmes, seminars, work-shops, SMTPs, oral coaching classes, students guidance meetings, study circle meetings and Regional Conferences. They have also been carrying out library updations, publishing news letters and providing employment service to members by maintaining a data base, dissemination of information to members/students and selling Institute's publications. As per the directions of the Council, some of the activities being undertaken by the Headquarters have been decentralised to some of the Regional Councils during 1998-99. The Reserves and Surplus and the number of members and students in each Regional Council as on 31st March, 1999 are shown in the given table.

ITEM	EIRC	NIRC	SIRC	WIRC
Financial Position				
(i) Surplus(+)/Deficit(-) 1998-99 (Rs.)	571304	801032	(128006)	(84533)
(ii) Reserves (Rs.)	1947065	3241763	1479489	272405
Number of Regular Students -				
As on 31.03.1999	25191	51104	35226	37045
As on 31.03.1998	23855	52990	34792	34294
% increase during 1998-99	5.60	(-) 3.56	1.25	8.02
Number of Foundation Course Students -				
As on 31.03.1999	6540	23037	6892	9122
As on 31.03.1998	8346	29972	9531	11370
% increase during 1998-99	(-) 21.64	(-) 23.14	(-) 27.69	(-) 19.77
Number of Members -				
As on 31.03.1999	1406	3317	3169	4174
As on 31.03.1998	1405	3184	3112	4068
% increase during 1998-99	0.07	4.18	1.83	2.61

4.2 Chapters

During 1998-99 the Managing Committees of all the 36 Chapters of the Institute were reconstituted in accordance with the Company Secretaries Chapters Guidelines, 1983 read with Company Secretaries Regulations, 1982. The Chapters carried out number of activities including oral coaching and training of the students and also organised study circle meetings and professional development programmes for members. During the year Madurai Chapter purchased its own premises. As on date, the Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Cochin, Dombivli, Ghaziabad, Goa, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kanpur, Madurai, Mangalore, Pune and Vadodara Chapters have their own office premises.

4.3 Best Chapter Awards

The Best Chapter Awards for the year 1997 were presented to the following Chapters at the inaugural function of 26th National Convention held at Pune:

National Best Chapter Award

Hyderabad

Regional Best Chapters

East — Bhubaneswar

North — Kanpur and Jaipur (Co-winners)

South — Hyderabad

West — Pune

4.4 Satellite Chapters

The Council of the Institute framed guidelines for constitution of Satellite Chapters in all four Regions to further strengthen the students and membership services and to provide library and oral tuition facilities and opportunities for interaction to the members and students. As on date, 16 Satellite Chapters have been constituted at the following places:

North — Agra, Allahabad, Bareilly, Beawar, Bhilwara, Gurgaon, Jodhpur, Meerut, Varanasi and Yamuna Nagar

South — Hubli-Dharwad, Kottayam, Thrissur and Vijayawada

West — Nasik and Raipur

Study Material, Research Publications, Chartered Secretary Journal, Student Company Secretary Bulletin and News letters of all Regional Councils and students and membership forms are available with the Satellite Chapters of the Institute.

❺ MEMBERS

5.1 New Admissions

During 1998-99, 534 and 203 persons were admitted as Associate and Fellow members respectively. As on 31st March 1999, the Institute had 12066 members comprising of 8845 Associates and 3221 Fellows on its Register. The number of members residing abroad as on 31st March 1999 were 273. The Council regrets to report the death of 19 members during the year 1998-99.

During 1998-99, Certificate of Practice was issued to 242 members. As on 31st March 1999 there were 1180 members holding Certificate of Practice.

5.2 List of Members

In pursuance of Section 19(3) of the Company Secretaries Act, 1980 read with Regulation 161 of the Company Secretaries Regulations, 1982, a Supplementary List of Members as on 1st April, 1998 was brought out. The supplementary list provides information such as members' residential address, telephone numbers, fax numbers, professional addresses. Certain additional information like Mobile Phone Numbers, Pager Numbers, etc. have been provided in the list to facilitate better communication and interaction among the members. The list was supplied to members on request.

❻ CHARTERED SECRETARY

The official journal of the Institute which entered its 29th year of publication continued its mission of providing uptodate information on matters relating to the areas of operation of Company Secretaries. Rated as one of the best professional journals, it has received appreciation from various quarters be it industry, trade, commerce, and from other professionals for its quality publication of informative articles on contemporary topics, promptly providing Government notifications, legal decisions, etc. The journal as an effective medium of communication between the Institute on the one hand and members and corporate professionals on the other is helpful in updating professional knowledge. During the year under review, special issues on Union Budget (July, 1998), Derivatives (October, 1998) and Insurance (December, 1998) were brought out which were well received and appreciated by the corporate professionals. The journal also maintained its promptitute and qualitative contents under the guidance and wise counsel of the reconstituted Editorial Advisory Board.

❼ CORE GROUPS

Core Groups of Experts specialising in Accounts & Finance, Alternative Dispute Resolution, Capital Markets, Company Law, Depositories, Direct and Indirect Taxes, Economic Legislations, Information Technology, International Business, Joint Ventures and Foreign Collaborations, Labour Laws and NBFCs were constituted during the year under review for identifying and exploring new avenues for practice and employment, developing /finalising Guidance Notes/Standard Secretarial Practices, suggesting legislative amendments having a bearing on the employment and practice side of the profession, finalising representations/memoranda to Government, regulatory and other bodies for securing recognitions, structuring of Continuing Education Programmes including Participative Certificate Programmes for members, finalising views/comments/opinion of the profession on various matters referred to the Institute by the Government, regulatory bodies and other institution, preparing comments/memoranda on the various legislations/ proposed legislations including rules, regulations and forms prescribed/ to be prescribed.

7.1 Representation on Committees

The President of the Institute continues to be a member of the Advisory Committee on Primary Markets constituted by SEBI. The President has also been appointed as member of the Advisory Committee on Secondary Markets, Committee on Corporate Governance and Accounting Standards Committee, constituted by SEBI. The Secretary of the Institute has been nominated as member of the Committee on Drafting of Model Rules and Byelaws of Stock Exchanges constituted by SEBI.

8 STUDENTS SERVICES

8.1 Registration for Regular Course

During the financial year 1998-99, 22842 Students were registered as compared to 30431 during the previous year. Number of students whose registration was current as on 31.3.1999 was 148594 including 651 students whose registration was extended under Regulation 21(3). Appendix 'D' to the Report contains the statistics of the number of registered students as well as those who have completed the Foundation, Intermediate and Final Examinations.

8.2 Admission to the Foundation Course

During the financial year under report 14425 students were admitted to the Foundation Course as compared to 18983 admitted during the previous year. Total number of students admitted as on 31.03.1999 was 104281. Number of current Foundation Course students as on 31.03.1999 was 50122.

8.3 Coaching

All the candidates admitted to the Foundation Course and the students registered for the Regular course during the year 1998-99 were enrolled for undergoing Compulsory Postal Tuition and provided with study material. 27915 coaching completion certificates were issued during the year and all the response sheets received for Foundation, Intermediate and Final Course were evaluated and returned to the students. As a step in the direction of decentralisation of activities relating to the students services, all the Regional Councils excepting WIRC provided the facility of local evaluation of response sheets for the Intermediate Course. SIRC had provided the facility of local evaluation of response sheets for the Final Course also. It is expected that WIRC would provide the facility of local evaluation of response sheets shortly.

8.4 Student Company Secretary

The Institute regularly brings out a monthly bulletin 'Student Company Secretary' for the benefit of students pursuing company secretaryship course, mainly to apprise and update them of legislative amendments, studies and information relating to the administration of company secretaryship course including practical training requirements. The bulletin is sent free of cost to all the current students.

8.5 C S Foundation Course Bulletin

In order to cater to the needs of students admitted to the Foundation Course who are on the turning point of their career, the Institute regularly sends the bi-monthly CS Foundation Course bulletin free of cost to all the current students.

8.6 A Guide to Company Secretaryship - Study and Examination

In order to guide the students as to how to study and prepare the Company Secretaries Examination, the Institute brought out the updated version of the publication titled 'A Guide to Company Secretaryship- Study and Examination'. As a part of service to the students, this booklet is provided free of cost to all students at the time of registration.

8.7 Licentiate - ICSI

During the period under report 269 Licentiate-ICSI were admitted by the Institute. Number of Licentiate-ICSI whose Licentiateship was valid as on 31.03.1999 was 572.

8.8 Eligibility Test Scheme

In tune with the policy of the Institute to provide facilities to the students, the Institute implemented the Eligibility Test(Sunday/ Holiday Test Scheme) with effect from 01.01.1998. The highlight of the scheme was that the students could complete the coaching by passing the qualifying test which would be held in the Regional and Chapter offices on Sundays and other holidays. It was visualised that this facility would act as a boon to the working students who were neither in a position to attend oral coaching classes nor had sufficient time for submitting the response sheets under the compulsory postal tution scheme. As the response was not encouraging, the scheme has since been discontinued.

8.9 First National Conference of Students

The First National Conference of Student Company Secretaries was hosted by the Hyderabad Chapter on 27th and 28th November, 1998 on the theme *'Company Secretaries– Opportunities and Challenges in the Next Millenium'* at Hyderabad. More than 500 delegates attended the Conference. Some of them had come from various parts of the country and participated in the Conference. A Backgrounder-cum-Souvenir was released on the occasion.

9 EXAMINATIONS

9.1 Conduct of Examination

During the year 1998-99, Company Secretaries Foundation, Intermediate and Final examinations were held in June and December, 1998 at fifty centres all over the country and at one centre abroad (Dubai). Number of candidates who have completed the various stages of examinations during 1998-99 are given below : -

Stage of Exam.	Examination Session	
	June 1998	Dec. 1998
Foundation	1835	1594
Intermediate	1533	1608
Final	430	504

List of examination centres and the statistics relating to examination results are given in Appendix 'C' and Appendix 'D1' respectively to the Report.

9.2 All India Prize Awards

With a view to encourage the students to put in their best efforts, the Institute has been awarding various prizes, merit certificates and scholorships. The following students were given the President's all India Prize Awards for June and December, 1998 examinations.

Course	June 1998	Place	December 1998	Place
Inter	Vikas Bhutra	Calcutta	Toshan Ajay Thamane	Thane
Final	Ms. Jyoti Kabra	Hyderabad	Pritish Kumar Kandoi	Calcutta

The particulars of prize winners together with All-India prize schemes and regional prize schemes were published in the 'Student Company Secretary' and 'C S Foundation Course' Bulletins.

9.3 Merit Certificates/Merit Scholarships/Financial Assistance

Merit Certificates were awarded to 25 top rank holders each in the Foundation and Intermediate examinations and to 10 top rank holders each in the final examinations held in June and December, 1998 sessions.

Pursuant to the Merit Scholarship Scheme, scholarships were awarded to eligible 15 top rank holders each in the Institute's Foundation and Intermediate examinations held in June and December, 1998 sessions. Likewise, under the Merit-cum-Means Assistance Scheme, financial assistance was granted to eligible candidates. The Merit-cum-Means Assistance Scheme, 1983 was notified in the April 1999 issue of Student Company Secretary.

⓾ TRAINING

Training is one of the important components of the company secretaryship course and great emphasis is being placed on imparting training to the students of the Institute. During the year under consideration the thrust was not only on widening the list of companies for imparting training but efforts were also made to improve the quality of training imparted by the companies.

10.1 Meeting with the Trainer Companies

A Meeting with the Trainer Companies was organised on 31st August, 1998 in New Delhi to discuss various issues with regard to improving the quality of training including the scope, content and effectiveness of the training imparted. Similar meetings were also conducted by the EIRC, SIRC, WIRC and Hyderabad Chapter with companies from their respective regions.

10.2 Survey of Companies

A survey of about 125 trainer companies in Delhi was undertaken with a view to ascertaining the status of these companies. These companies were registered with the Institute for the purpose of imparting training but had ceased to do so for one reason or the other. Services of Intermediate/Final pass students were utilised for the survey work. Some of the companies were activated in the process.

10.3 A Guide to Trainees

A booklet titled "A Guide to Trainees" was brought out for the benefit of companies imparting training and also the trainees undergoing training.

10.4 Empanelment

With a view to widening the list of companies for imparting training to the students of the Institute, the Directorate of Training approached Department of Company Affairs, companies listed on the stock exchanges, Delhi Stock Exchange, Reserve Bank of India, General Insurance Corporation, Life Insurance Corporation, United India Insurance Company Ltd., Oriental Insurance Co. Ltd., National Insurance Co. Ltd. the New India Assurance Co. Ltd. , Public Sector Undertakings, Offices of the Registrars of Companies all over India.

The Registrars of Companies, NCT of Delhi & Haryana and Kanpur have started imparting three months' training apart from the 15 days' training in the specialised area.

During the Financial Year 1998-99, 122 companies were empanelled for imparting Management Training and 79 companies were empanelled for imparting Practical Training. Number of Company Secretaries empanelled for imparting apprenticeship training during the said period was 77. Total number of companies empanelled as on 31.03.1999 for imparting Management and Practical Training stood at 1740 and 1998 respectively. Similarly total number of Company Secretaries empanelled for imparting Apprenticeship Training was 395 as on 31.03.1999

10.5 Imparting of Training

During the Financial year 1998-99, 218 students had undergone Management Training, 248 students completed Practical Training and 50 students undertook Apprenticeship Training. Training of Intermediate/Final passed students by the Company Secretaries in Practice is being encouraged.

10.6 Secretarial Modular Training Programme

During the year 1998-99, 20 Secretarial Modular Training Programmes (SMTP) were conducted by the Regional Councils and 'A-1' and 'A' Grade Chapters and 561 candidates successfully completed the SMTP.

To keep pace with the contemporary changes, SMTP curriculum was restructured giving greater thrust to newer areas relevant to the profession.

⓫ PUBLIC RELATIONS & PLACEMENT

11.1 Public Relations

The wide range of services provided by Company Secretaries, the objectives and functions of the Institute including exhaustive Write-Ups on "Career as a Company Secretary" were featured regularly in the print and electronic media during the year 1998-99, thus creating nation wide awareness/acceptability of profession of Company Secretaries in the corporate sector and among the student community at large. Leading newspapers both English and Hindi covered the Press Releases and important Press statements of the President and the Secretary from time to time. The majority of the news items were released through the Press Trust of India (PTI), United News of India (UNI) and UNIVARTA, thereby enabling the Institute to secure maximum mileage in the media on all India basis. Some of the major interviews on the profession of Company Secretaries were published as coloured career features in Education Times of The Times of India dated 13.4.1998, 13.7.1998, 16.11.1998, 14.12.1998 and 28.12.1998, The Statesman dated 15.4.1998, 18.12.1998, The Financial Express dated 21.5.1998 (all editions), The Employement News during 4 -10.4.1998 and The Hindustan Times dated 17.9.1998 (The Enhance section), The Indian Express dated 13.1.1999, The Economic Times dated 25.1.1999, August 1998 issue of Teens Today (an India Today publication) and March, 1999 issue of Competition Master thus spreading the message of Company Secretaryship to every nook and corner of the country.

As in the past, the Institute participated in Career Fairs during the year. Informative panels, posters were displayed at the Fairs and information about the Company Secretaryship was imparted to the students and guardians visiting the fairs. Publicity kits and Press Releases were sent for the President's Press Conferences organised at various Regional and Chapter offices. Detailed Company Secretaries Examination results were published by more than a dozen newspapers during August, 1998 and February, 1999.

The Secretary's interview to BBC on the C S Course was

broadcast on 16.2.1999 at 8.15 P.M. during the Hindi Career guidance programme titled "Nai Peedhi".

11.2 Placement

Press and TV interviews focussing on the placement of Company Secretaries as integrated Corporate Managers were organised at intervals. The bio-data of Members were sent to prospective employers for recruitment. The vacancies for the post of Company Secretaries were screened from various newspapers and business magazines. The List of Members were sent to the Govt., on regular basis, and Private and Public Sector Companies, MNC's from time to time during the year. As per the feed back received, several Members have been suitably placed through the efforts of the Placement Cell. Throughout the year liaison was maintained with various Placement Consultants and the resume of Members were sent to them for suitable placement. Several letters were sent to the HRD departments of various financial institutions informing them on the multifaceted role of a Company Secretary and suggesting appointment of Company Secretaries in their various departments. Similar letters were also sent to various Public Sector Undertakings and Multinational companies. Efforts are on to display the vacancies for Company Secretaries on the web-site of the Institute.

ACCOUNTS

12.1 Surplus

Transfer of surplus of income over expenditure to General Reserve has been made for Rs. 181.84 lacs in the year compared to Rs. 248.05 lacs transfered in the previous year of 1997-98.

12.2 Reserves

(a) Capital Reserve

The Capital Reserve to which the entrance fee received from members are capitalised, stood at Rs. 52.74 Lacs as on 31st March, 1999 as against Rs. 50.74 lacs as on 31st March, 1998.

(b) General Reserve

The General Reserve which stood at Rs. 1641.69 lacs as on 31st March 1998 has risen to Rs. 1823.90 lacs as on 31st March, 1999.

12.3 Statutory Auditors

M/s. Khanna & Annadhanam, Chartered Accountants, New Delhi, were reappointed Statutory Auditors of the Institute for the year ended 31st March, 1999 pursuant to the requirement of Section 18(4) of the Company Secretaries Act, 1980. The Auditors Report is published alongwith the statements of accounts.

LAND AND BUILDINGS

13.1 ICSI-NIRC Building

The NIRC office and library are functioning from the ICSI-NIRC Building, at 4, Prasad Nagar Institutional Area, New Delhi.

13.2 Faridabad Chapter Land

The Chapter has purchased a plot of land measuring 500sq. yards at a total cost of Rs. 3.65 lacs in Sector 16-A, Faridabad from Haryana Urban Development Authority (HUDA). The allotment letter and letter of possession have been issued by HUDA to the Chapter but the possession of the plot was not handed over by HUDA due to certain old dispute over the property. The HUDA authorities at Faridabad have recommended allotment of alternative plot of land.

13.3 Noida Land

The Institute has purchased a plot of land measuring 1375 sq.m. at a total cost of Rs. 34.38 lacs in Sector 62, Phase-II, Institutional Area, Noida. The possession of the plot has been taken over by the Institute and construction of the building is in progress.

13.4 Madurai Chapter Premises

The Institute has purchased built up premises at C-3, III Floor A R Plaza, 16/17, North Veli Street, Madurai - 625 001 for its Madurai Chapter at a total cost of Rs. 10,40,000. The Building was formally inaugurated by Shri B P Dhanuka, the then President of the Institute, on 14th December 1998.

CAPITAL GRANT AND LOANS TO THE CHAPTERS

Total grant and loan given by the Institute to the Regional Councils and Chapters for acquiring their own office premises as on 31st March, 1999 are as follows : -

(a) Grant Rs. 97.34 Lacs
(b) Loan Rs. 85.63 Lacs

The endeavour of the Institute has been to help and supplement the Regional Councils and Chapters in their efforts to acquire premises. A number of Regional Councils and Chapter have made tremendous efforts to raise resources for premises/building projects. The Council places on record its appreciation of such efforts by these Regional Councils/ Chapters.

COMPANY SECRETARIES BENEVOLENT FUND

15.1 Growth of CSBF Members

The CSBF had a life membership of 2914 as on 31st March, 1999. The membership has shown a gradual increase over the years. The Capital Reserve and General Reserve of the Fund as on 31st March, 1999 stood at Rs. 60.40 Lacs and Rs. 19.59 Lacs respectively.

15.2 Efforts are continuing to enroll more number of members for the Fund. This will enable the Fund to provide better financial benefits to the members in financial distress and their families on account of death, prolonged illness, accident, etc. This is a self insurance measure. Life Membership fee of Rs. 1000 is exempt under Section 80-G of the Income Tax Act, 1961.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

16.1 Professional excellence plays a key role in providing efficient services to members, students and other clients. For achieving professional excellence, the ICSI Management believes firmly that human resource development at micro level is a must.

To accomplish this objective all round efforts were made to help officers and staff to understand the need of 'Positive change in attitude' in the context of fast changing corporate world in terms

of global competition and adapt themselves for efficient delivery of services to the clients. For this purpose, a variety of in-house HRD programmes were conducted for the benefit of officers and staff. In addition, officers and staff were also nominated to various training and development programmes conducted by different external agencies. At the same time, the significance of use of innovative technology in the area of information technology was realised for productivity improvement and vigorous efforts were made to promote computer culture in the Institute. In this endeavour 40 officers and staff were imparted training in Computer Applications.

In all 160 officials were nominated during the year 1998-99 to various training & development programmes. This constitutes more than 60% of total strength of manpower of the Institute. Apart from this, membership fee of professional organisations was reimbursed to officers with a view to encourage them to seek professional affiliations for acquiring advanced knowledge in the areas of their specialisation.

16.2 Employee Relations and Welfare

Cordial relationship was maintained with the ICSI Employees Union. As a result of harmonious employee-employer relations throughout the year, the ICSI Employees Union extended their full co-operation in making optimum utilisation of resources for overall growth and development of the Institute including promoting computer culture in the Institute. The ICSI Employees' Club and Thrift and Credit Society continued to carry out various cultural and welfare activities during the year.

17 FUTURE OUTLOOK

The advent of globalisation and advancements in information technology have reshaped the corporate canvas into knowledge industries and rendered the markets excessively volatile and extremely competitive, offering in the process new avenues, opportunities as well as challenges for corporate professionals. The realm of Company Secretaries profession is also undergoing major transformation with far reaching implications.

In this direction, the process of knowledge development in diverse emerging areas has been initiated through well structured short term Participative Certificate Programmes to ensure that the role of Company Secretaries is not undercut by a failure to keep abreast of the issues and opportunities. These efforts are complimented by an outward looking perspective to allow the Company Secretaries to identify, evaluate and apply ideas and best practices from around the world to build an unbeatable competitive edge.

18 ACKNOWLEDGEMENTS

The Council places on record its gratitude to Ministries and Offices of the Central Government, particularly the Department of Company Affairs and SEBI for their help, guidance and support to the development of the profession and activities of the Institute during the year. The Council is also grateful to various State Governments, Financial /Industrial/Investment Institutions/Corporate Sector in general and various Chambers of Commerce, Trade Associations and other Agencies which have been increasingly inclined to avail of the services of members of the Institute and recognise their expertise in the field of corporate laws, finance, management and allied areas. The Council also places on record its deep appreciation of the assistance and co-operation of Regional Councils and Chapters and of the commitment and devotion to duty exhibited by all levels of Officers and Staff of the Institute.

For and on behalf of the Council of
the Institute of Company Secretaries of India

VIRENDER GANDA, President

New Delhi

Date : 8th August, 1999

APPENDIX 'A'

STANDING COMMITTEES

I Disciplinary Committee

S/Shri

Virender Ganda, President	Chairman
S Gangopadhyay	Member
R D Joshi	Member

II Examination Committee

J Sridhar, Vice-President	Chairman
S Gangopadhyay	Member
Harish K Vaid	Member

III Executive Committee

Virender Ganda, President	Chairman
J Sridhar, Vice-President	Member
B P Dhanuka,	Member
R D Joshi	Member
S Ramabhadran	Member

OTHER COMMITTEES

IV Professional Development Committee

Virender Ganda, President	Chairman
K Chandrasekaran	Member
S Gangopadhyay	Member
P V S Jaganmohan Rao	Member
Pavan Kumar Vijay	Member

V Committee for Company Secretaries in Practice

Bipin S Acharya	Chairman
S Gangopadhyay	Member
S D Israni (Dr.)	Member
V Sreedharan	Member

VI Training and Educational Facilities Committee

J Sridhar,Vice-President	Chairman
K Chandrasekaran	Member
Naina R Desai (Mrs.)	Member
P S Sarma (Dr)	Member
V Sreedharan	Member
Harish K Vaid	Member
Pavan Kumar Vijay	Member
P V S Jagan Mohan Rao	Member

VII Post Membership Qualification Course Committee

J Sridhar, Vice-President	Chairman
S Gangopadhyay	Member
Harish K Vaid	Member

VIII Placement Committee

K Chandrasekaran	Chairman
P V S Jagan Mohan Rao	Member
Pavan Kumar Vijay	Member

IX Regulations Committee

Virender Ganda, President	Chairman
Naina R Desai (Mrs.)	Member
S D Israni (Dr.)	Member
Kumar D Kapasi	Member
S Ramabhadran	Member
Bipin S Acharya	Member

X Coordination Committee

Virender Ganda, President	Chairman
J Sridhar, Vice-President	Member
B P Dhanuka	Member
Kumar D Kapasi	Member
P S Sarma (Dr.)	Member

XI Editorial Advisory Board

S Balasubramanian	Chairman
Girish Ahuja	Member
Rahul Bhatnagar	Member
V K Bhalla (Prof.)	Member
B D Bishnoi	Member
K M Chandrasekhar	Member
Delep Goswami	Member
Jayalakshmi Jayaraman (Dr.)(Mrs.)	Member
Anoop Mishra	Member
U C Nahata	Member
A K Poddar	Member
R K Pandey	Member
Aditi S Ray (Ms)	Member
P S Sarma(Dr.)	Member
V K Singhania(Dr.)	Member
S P Narang (Dr.)	Editor & Publisher

XII Expert Advisory Group

Hon'ble Mr. Justice A M Ahmadi (former Chief Justice of India)	Chairman
R N Bansal	Member
U K Chaudhary	Member
Ashok Chhabra	Member
Naina R Desai (Mrs.)	Member
S Gangopadhyay	Member

	S D Israni(Dr.)	Member
	R Krishnan	Member

XIII Noida Building Committee

R N Bansal	Chairman
Girish Ahuja	Member
N K Jain	Member
R K Pandey	Member
Harish K Vaid	Member
N K Aggarwal, Sr. Director	Member Secretary

EX-OFFICIO MEMBERS

Virender Ganda, President,	The ICSI
J Sridhar, Vice-President,	The ICSI
S P Narang (Dr.), Secretary,	The ICSI

XIV CCRT Building Committee

A K Modi	Chairman
Bipin S Acharya	Member
N L Bhatia	Member
Naina R Desai (Mrs.)	Member
S D Israni (Dr.)	Member
Kumar D Kapasi	Member
P P Mistry (Dr.)	Member
R Ramachandran	Member

EX-OFFICIO MEMBERS

Virender Ganda, President,	The ICSI
J Sridhar, Vice-President,	The ICSI
S P Narang (Dr.), Secretary,	The ICSI

XV CCRT Management Committee

Virender Ganda, President	Chairman
J Sridhar, Vice-President	Member
Bipin S Acharya	Member
Naina R Desai(Mrs.)	Member
B P Dhanuka	Member
S D Israni (Dr.)	Member
P V S Jagan Mohan Rao	Member
R D Joshi	Member
Kumar D Kapasi	Member
A K Modi	Member
S P Narang (Dr.)	Member Secretary

XVI CCRT Advisory Board

Hon'ble Mr. Justice M N Venkatachaliah Former Chief Justice of India and Chairperson, National Human Rights Commission.	Hony. Chairman
Hon'ble Mr. Justice Ashok A Desai Judge, Allahabad High Court, UP	Member
G P Gupta Chairman & Managing Director Industrial Development Bank of India	Member
Mohinder N Kaura (Prof.) Management Consultant Administrative Staff College of India	Member
R A Mashelkar (Dr.) Director General, CSIR and Secretary, Department of Science & Technology	Member
N L Mitra (Prof.) National Law School of India University, Bangalore	Member
T S Krishna Murthy Secretary, Department of Company Affairs	Member
Rajan Nanda Chairman & Managing Director Escorts Ltd.	Member
P V Narasimhan Chairman & Managing Director Industrial Finance Corpn. of India	Member
V H Pandya Former Sr. Executive Director SEBI	Member
N Vittal, IAS Chairman, Central Vigilance Commission	Member

EX-OFFICIO MEMBERS

Virender Ganda, President,	The ICSI
J Sridhar, Vice-President,	The ICSI
S P Narang (Dr.), Secretary, Dean, ICSI-CCRT	The ICSI

XVII Computer Committee

Pavan Kumar Vijay

XVIII Perspective Planning Group

C R Shah	Chairman
K R Chandratre (Dr.)	Member
S D Israni(Dr.)	Member
R Krishnan	Member
D K Prahlada Rao	Member
D B Saxena	Member
S P Narang (Dr.)	Member-Secretary

XIX Election Reform Committee

Bipin S Acharya

APPENDIX 'B'

1. Two day Residential Workshop on Propounding Areas of Practice for Company Secretaries at Gandhinagar on July 24-25, 1998
2. Five day Training Programme for Officers of Central Company Law Service at New Delhi on August 3-7, 1998
3. National Seminar on Intellectual Property Rights at New Delhi on August 7, 1998
4. Golden Jubilee Celebrations of India's Independence Commemoration Lecture on Corporate Vision - 21st Century at New Delhi on August 5, 1998
5. National Seminar on Derivatives at New Delhi on August 29, 1998
6. Seminar on Information Technology at New Delhi on October, 1998
7. 26th National Convention on Corporate Laws in the next Millennium at Pune on November 12-14, 1998
8. Conference on Dispute Resolution organised jointly by the ICSI and the BCI in collaboration with ICADR at New Delhi on December 13, 1998
9. Two day Workshop on Propounding Areas of Practice for Company Secretaries at Calcutta on September 12-13, 1998 at Chennai on September 26-27, 1998 and at New Delhi on December 19-20, 1998
10. Two day Workshop on Dematerialisation of Securities at Navi Mumbai on January 22-23, 1999
11. Three day Programme on Mergers and Acquisitions jointly with Administrative Staff College of India at Hyderabad on February 3-5, 1999
12. Participative Certificate Programme on Alternative Dispute Resolution jointly with ICADR for four days from February 25-28, 1999 at Delhi
13. Participative Certificate Programme on Alternative Dispute Resolution for four days from March 24-27, 1999 at Hyderabad

APPENDIX 'C'

LIST OF EXAMINATION CENTRES WHERE EXAMINATIONS CONDUCTED DURING THE YEAR 1998-99

1. Agra	2. Ahmedabad	3. Allahabad	4. Ambala City	5. Bangalore
6. Baroda	7. Bhopal	8. Bhubaneswar	9. Calcutta	10. Chandigarh
11. Chennai	12. Coimbatore	13. Delhi(East)	14. Delhi(North)	15. Delhi(South)
16. Delhi(West)	17. Ernakulam	18. Ghaziabad	19. Guwahati	20. Hyderabad
21. Indore	22. Jaipur	23. Jammu	24. Jamshedpur	25. Jodhpur
26. Kanpur	27. Lucknow	28. Ludhiana	29. Madurai	30. Mangalore
31. Meerut	32. Mumbai(C)	33. Mumbai(M)	34. Mumbai(VP)	35. Mysore
36. Nagpur	37. Noida	38. Panaji	39. Patna	40. Pondicherry
41. Pune	42. Rajkot	43. Ranchi	44. Simla	
45. Thiruvananthapuram		46. Tiruchirapalli	47. Udaipur	48. Vijayawada
49. Visakhapatnam		50. Yamuna Nagar	51. OVERSEAS CENTRE : DUBAI	

APPENDIX 'D'

Post Membership Qualification (PMQ) Examination

I - June 1998 Session

STAGE OF EXAMINATION	NUMBER OF CANDIDATES			
	ENROLLED	APPEARED	PASSED	PASS %
GROUP I	56	27	3	11.11
GROUP II	18	9	3	33.33

9 Candidates enrolled for Both Groups out of whom 3 candidates appeared in Both Groups and one declared pass in both the groups.

II - December 1998 Session

STAGE OF EXAMINATION	NUMBER OF CANDIDATES			
	ENROLLED	APPEARED	PASSED	PASS %
GROUP I	44	25	3	12.00
GROUP II	19	11	2	18.18

9 Candidates enrolled for Both Groups out of whom 3 candidates appeared in Both Groups and one declared pass in both the groups.

APPENDIX 'D1'

STATISTICS ON STUDENTS APPEARED AND PASSED IN EXAMINATIONS

I - JUNE 1998 SESSION

STAGE OF EXAMINATION	NUMBER OF CANDIDATES			
	ENROLLED	APPEARED	PASSED	PASS %
FOUNDATION	10588	8393	1835	21.82
INTERMEDIATE*				
GROUP I	20852	12711	1756	13.81
GROUP II	20290	12913	2268	17.56
FINAL#				
GROUP I	3507	2542	638	25.10
GROUP II	3513	2367	397	16.77

* 2770 Candidates appeared for Intermediate Both Groups out of whom 288 candidates passed Both Groups (10.4%).

\# 619 candidates appeared for Final Both Groups out of whom 90 candidates passed Both Groups (14.54%).

II- DECEMBER 1998 SESSION

STAGE OF EXAMINATION	NUMBER OF CANDIDATES			
	ENROLLED	APPEARED	PASSED	PASS %
FOUNDATION	9198	7396	1594	21.53
INTERMEDIATE*				
GROUP I	20947	12969	1631	12.58
GROUP II	19645	12554	2003	15.96
FINAL#				
GROUP I	3859	2771	713	25.73
GROUP II	4288	2971	458	15.42

* 3320 Candidates appeared for Intermediate Both Groups out of whom 255 candidates passed Both Groups (7.68%).

\# 717 candidates appeared for Final Both Groups out of whom 87 candidates passed Both Groups (12.13%).

KHANNA & ANNADHANAM
Chartered Accountants
706, Akash Deep, 26-A, Barakhamba Road,
P.O. Box 648, New Delhi-110001
Tel: 3315110, 3315119 Grams: ALERT, New Delhi

AUDITORS REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of The Institute of Company Secretaries of India as at 31st March, 1999 and also the annexed Income and Expenditure Account for the year ended on that date and report that:

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

(b) The Balance Sheet and the Income and Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of account; and

(c) The Balance Sheet and the Income and Expenditure Account drawn up comply with the mandatory accounting standards to the extent they are applicable.

(d) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements read with notes and accounting policies attached thereto or appearing thereon, give true and fair view:-

(i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs as at 31st March '99; and

(ii) in the case of the Income and Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date.

for **KHANNA & ANNADHANAM**
Chartered Accountants

Sd/-
(K.A. Balasubramanian)
Partner

Place : New Delhi
Dated : 8th August, 1999

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA, NEW DELHI

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 1999

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	Schedule	31st March, 1999			31st March, 1998		
SOURCES OF FUNDS							
Capital Reserve	1			5,274,370			5,073,570
General Reserve	2			182,390,264			164,168,695
Scientific Research Reserve	3			6,132,690			4,021,656
Hospitalisation Fund	4			8,386,000			5,800,000
TOTAL				202,183,324			179,063,921
APPLICATION OF FUNDS							
Fixed Assets	5						
Gross Block		70,245,180			63,832,203		
Less: Depreciation		23,911,672			18,323,121		
			46,333,508			45,509,082	
Add: Advance for purchase of Land and Buildings under construction			36,727,694			27,064,419	
				83,061,202			72,573,501
Investments	6			92,093,100			87,800,193
Current Assets, Loans and Advances							
Current Assets	7						
Interest accrued on investments		4,814,576			6,090,693		
Stock in hand		4,240,359			5,206,213		
Sundry Debtors		408,729			658,521		
Cash and bank balances		59,219,953			39,487,167		
			68,683,617			51,442,594	
Loans and Advances	8		16,457,925			16,229,979	
			85,141,542			67,672,573	
Less: Current Liabilities and Provisions	9						
Liabilities		(36,226,128)			(32,726,320)		
Provisions		(21,886,392)	(58,112,520)	27,029,022	(16,256,026)	(48,982,346)	18,690,227
TOTAL				202,183,324			179,063,921
ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS	15						

As per our report of even date
For KHANNA & ANNADHANAM
Chartered Accountants

For and on behalf of the Council

(K.A. Balasubramanian)
Partner

(Dr. S.P. Narang)
Secretary

(J. Sridhar)
Vice-President

(Virender Ganda)
President

Place: New Delhi
Dated: 8th August, 1999

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA, NEW DELHI

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 1999

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	Schedule	31st March, 1999	31st March, 1998
INCOME			
Fees from Members and Students	10	98,301,124	103,468,973
Sale of Publications		8,148,920	7,640,874
Subscription to Journal & Bulletin and Advertisements		1,879,057	2,315,243
Interest on Investments (Gross)			
Tax deducted at source 'Nil'		16,637,231	16,960,925
Income from Programmes		4,465,189	4,034,504
Other income	11	963,377	1,268,024
TOTAL		130,394,898	135,688,543
EXPENDITURE			
Establishment	12	37,775,132	35,854,723
Postal Tuition		10,017,696	13,004,772
Publications and Office Stationary		2,840,559	3,366,238
Journal and Bulletins		7,340,714	8,211,601
Examinations		12,406,612	10,152,133
Communication	13	4,437,110	4,761,524
Grant to Regional Councils and Chapters		4,538,425	3,531,739
Regional Offices		924,185	505,006
Travelling and Conveyance		2,910,915	3,068,855
Students Scholarships and Awards		189,602	176,802
Professional Development Programmes and Training		3,082,493*	3,207,722
Election		0	612,714
Other Expenses	14	10,904,531	14,309,298
Depreciation	5	5,642,308	3,320,580
Contribution to Co.Secy.Bene.Fund		2,500,000	1,000,000
Contribution to Hospitalisation Fund		1,200,000	800,000
Provision for Voluntary Retirement Scheme		5,000,000	5,000,000
Provision for shortfall in the value of investments		500,581	0
		112,210,863	110,883,707
Excess of Income over Expenditure transferred to General Reserve		18,184,035	24,804,836
TOTAL		130,394,898	135,688,543

* Includes surplus of Rs. 8,44,835 (Previous Year Rs. 4,74,226) allocated to Pune Chapter, Company Secretaries Benevolent Fund and Employees Benevolent Fund.

As per our report of even date
For KHANNA & ANNADHANAM
Chartered Accountants

For and on behalf of the Council

(K.A. Balasubramanian)
Partner

(Dr. S.P. Narang)	(J. Sridhar)	(Virender Ganda)
Secretary	Vice-President	President

Place: New Delhi
Dated: 8th August, 1999

2769 GI/99—8

CAPITAL RESERVE

SCHEDULE 1 (Amount in Rs.)

PARTICULARS	31st March, 1999		31st March, 1998	
As per last Balance Sheet		5,073,570		3,943,920
Add: Entrance fees - Associate Members	160,200		183,600	
- Fellow Members	40,600	200,800	66,000	249,600
Capital Profit on sale of Assets		0		880,050
TOTAL		5,274,370		5,073,570

GENERAL RESERVE

SCHEDULE 2 (Amount in Rs.)

PARTICULARS	31st March, 1999		31st March, 1998	
As per last Balance Sheet		164,168,695		138,149,483
Less: Adjustment of contribution in r/o old building set-off against consideration of new building (Pune Chapter)		1,700,000		0
		162,468,695		138,149,483
Add: - Contribution from Regional Councils/ Chapters for Land/Buildings (Jaipur, Madurai & Mangalore)	1,737,534		1,211,876	
- Direct donations	0		2,500	
		1,737,534		1,214,376
		164,206,229		129,363,859
Surplus as per Income and Expenditure Account		18,184,035		24,804,836
TOTAL		182,390,264		164,168,695

SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (CCRT) RESERVE

SCHEDULE 3 (Amount in Rs.)

PARTICULARS	31st March, 1999	31st March, 1998
As per last Balance Sheet	4,021,656	1,729,188
Add: Donations/Contributions received upto 31.3.1999	27,222,341	23,860,210
Interest on earmarked funds	57,706	101,271
	31,301,703	25,690,669
Less: Contributions from ICSI to WIRC upto 31.3.1999 adj. against Loans/Adv. as per contra (Schd. 8)	(25,169,013)	(21,669,013)
TOTAL	6,132,690	4,021,656

HOSPITALISATION FUND

SCHEDULE 4 (Amount in Rs.)

PARTICULARS	31st March, 1999	31st March, 1998
As per last Balance Sheet	5,800,000	5,000,000
Add: Interest earned on deposits	1,416,000*	–
Transferred from Income & Expenditure Account	1,200,000	800,000
	8,416,000	5,800,000
Less: Payments made during the year	30,000	–
TOTAL	8,386,000	5,800,000

* including Rs. 7.20 lacs for period upto 31.3.1998

SCHEDULE OF FIXED ASSETS

SCHEDULE 5 (Amount in

Sl. No.	Items	Gross block				Depreciation				Net Block	
		Cost as on 1.4.1998	Additions	Deletions	Total cost as on 31.3.1999	Total as on 1.4.1998	For the year	Deletions	Total as on 31.3.1999	As on 31.3.1999	As on 31.3.1998
1	Leasehold Land	10474485	0	0	10474485	0	0	0	0	10474485	10474485
2	Buildings	32593004	2950577	0	35543581	8516197	1386081	0	9902278	25641303	24076807
3	Furniture & Fixtures	2935955	253861	25630	3164186	2013273	224636	19766	2218143	946043	922682
4	Computer Network	8267371	1798683	0	10066054	2801127	2905970	0	5707097	4358957	5466244
5	A/C Installation and Coolers	1424252	136758	0	1561010	950890	100136	0	1051026	509984	473362
6	Electrical Equipment	1711339	727675	0	2439014	688338	299738	0	988076	1450938	1023001
7	Office and Communication Equipment	3602441	571209	0	4173650	1724290	368209	0	2092499	2081151	1878151
8	Other Equipment	149129	54401	0	203530	70129	22672	0	92801	110729	79000
9	Library Books	2293639	0	54557	2239082	1403539	289916	33991	1659364	579718	890100
10	Vehicles	380588	0	0	380588	155338	45050	0	200388	180200	225250
	This year total	63832203	6493164	80187	70245180	18323121	5642308	53757	23911672	46333508	45509082
	Previous year total	61841788	3102767	1112352	63832203	15367571	3320580	365030	18323121	45509082	46474217
	Advances (work-in progress)										
1	Land (refer note no. 2 of financial notes)	300000	0	0	300000	0	0	0	0	300000	300000
2	Buildings (under construction)	22936177	10317781	2430823	30823135**	0	0	0	0	30823135	22936177
3	Others	3828242	1776317	0	5604559***	0	0	0	0	5604559	3828242
	This year total	27064419	12094098	2430823	36727694	0	0	0	0	36727694	27064419
	Previous year total	11171,662	15892757	0	27,064,419	0	0	0	0	27064419	11171662

* includes Rs. 29,54,922 (Previous Year Rs. 29,54,922)
** includes Rs. 2,41,87,588 (Previous Year Rs. 2,01,87,212)
] towards Scientific Research Project (CCRT) at Navi Mumbai

*** relates to Scientific Research Project (CCRT) at Navi Mumbai

2769 GI/99—9

INVESTMENTS - AT COST

SCHEDULE 6 (Amount in Rs.)

PARTICULARS	AS ON 31.3.1998	ADDITIONS	DELETIONS	AS ON 31.3.1999
(A) Fixed Deposits with Public Sector Undertakings				
- Steel Authority of India Ltd. (13.5%-14.5%)	14,505,000	-	1,605,000	12,900,000
- National Thermal Power Corpn. Ltd. (12%-14%)	5,500,000	-	5,500,000	-
- Minerals & Metals Trading Corporation (14.5%-15%)	5,500,000	-	-	5,500,000
Total (A)	25,505,000	-	7,105,000	18,400,000
(B) Bonds of Public Sector Undertakings				
NIL (Previous year 2300) 17% Bonds of Rs. 1000 each of Mahanagar Telephone Nigam Limited	2,246,152	-	2,246,152	-
115 (Previous year 115), 15.5%-16.5% Bonds of Rs. 1 lac each of Industrial Finance Corpn. of India	11,500,000	-	-	11,500,000
800 (Previous year 800) 15.5% Bonds of Rs. 5000 each of Industrial Finance Corpn. of India	4,000,000	-	-	4,000,000
6000 (Previous year 6000) 14.5% Bonds of Rs. 1000 each of State Bank of India	5,757,500	-	-	5,757,500
NIL (Previous year 10) 16.25% Bonds of Rs. 1 lac each of Nuclear Power Corporation Ltd.	1,000,000	-	1,000,000	-
200 (Previous year 200) Zero Coupon Bonds of Rs. 1 lac each of Industrial Development Bank of India	13,616,954	2,144,640	-	15,761,594
600 (Previous year NIL) 14% Bonds of Rs. 1000 each of Industrial Development Bank of India	-	6,000,000	-	6,000,000
800 (Previous year NIL) 14% Bonds of Rs. 5000 each of Industrial Development Bank of India	-	4,000,000	-	4,000,000
45 (Previous year 45) 16%-16.5% Bonds of Rs. 1 lac each of Steel Authority of India Limited	4,500,000	-	-	4,500,000
9000 (Previous year 11,000) 17% Bonds of Rs. 1000 each of National Hydro Power Corporation Ltd.	11,000,000	-	2,000,000	9,000,000
1000 (Previous year NIL) 13.5% Bonds of Rs. 5000 each of Industrial Credit and Investment Corpn. of India Ltd.	-	5,000,000	-	5,000,000
30 (Previous year 30) 15.5% Bonds of Rs. 1000 each of Industrial Credit and Investment Corpn. of India Ltd.	29,880	-	-	29,880*
89 (Previous year 89) 15.5% Bonds of Rs. 10000 each of Industrial Credit and Investment Corpn. of India Ltd.	890,000	-	-	890,000
200 (Previous year 200) 16% Bonds of Rs. 5000 each of Industrial Credit and Investment Corpn. of India Ltd. (erstwhile Shipping Credit & Inv. Corpn. of India Ltd.)	1,000,000	-	-	1,000,000
1000 (Previous year 1000) 16.5% Bonds of Rs. 1000 each of Indian Railway Finance Corporation Ltd.	980,000	-	-	980,000
Total (B)	56,520,486	17,144,640	5,246,152	68,418,974
(C) Units (under US-64 Scheme) of the Unit Trust of India				
- 345983 Units (Previous year 345983)	5,621,129	-	-	5,621,129@
- 10610 Units (Previous year 10610	153,578	-	-	153,578*
	5,774,707	-	-	5,774,707
Less: Provision for fall in the value of Units	-	-	500,581	(500,581)
Total (C)	5,774,707	-	500,581	5,274,126
GRAND TOTAL (A+B+C)	87,800,193	17,144,640	12,851,733	92,093,100

* earmarked for Prize Awards

@ market value of Units under US-64 Scheme of Unit Trust of India as on 31.3.1999 was Rs. 51,20,548

CURRENT ASSETS

SCHEDULE 7 (Amount in Rs.)

PARTICULARS	31st March, 1999			31st March, 1998		
Interest Accrued on Investments			4,814,576			6,090,693
Stock (valued, taken and Certified by Management)						
(a) Publications		333,969			448,125	
(b) Paper		3,334,300			4,148,286	
(c) Study material		189,750			302,817	
(d) Others		382,340	4,240,359		306,985	5,206,213
Sundry Debtors (Unsecured)						
(a) Outstanding for more than six months						
i) considered good	88,505			85,540		
ii) considered doubtful	76,500			43,050		
	165,005			128,590		
(b) Others (considered good)	320,224			572,981		
		485,229			701,571	
Less: Provision for Bad & Doubtful Debts		(76,500)			(43,050)	
			408,729			658,521
Cash and Bank Balances						
(a) Cash, Cheques, Drafts, Postage stamps/franking units in hand		710,450			1,304,417	
(b) With scheduled banks						
- in savings bank accounts	12,019,325*			12,284,742		
- in short-term deposits	-			-		
- in long-term deposits # (including Rs. 26,542 for Prize Awards and Rs. 58 lacs (Previous Year Rs. 50 lacs) for Hospitalisation Fund)	41,227,284			24,526,541		
- interest accrued on term deposits	5,262,894			1,371,467		
		58,509,503			38,182,750	
			59,219,953			39,487,167
TOTAL			68,683,617			51,442,594

* includes Rs. 10,42,151 (Previous Year Rs. 3,34,120)
** includes Rs. 5,00,000 (Previous Year Rs. 5,00,000)
] earmarked against Scientific Research Project (CCRT) at Navi Mumbai

LOANS AND ADVANCES

SCHEDULE 8 (Amount in Rs.)

PARTICULARS	31st March, 1999		31st March, 1998	
Loans				
Regional Councils/Chapters for buildings		30,232,444		18,970,110
Advances				
Employees	3,650,314		3,081,138	
Regional Councils/Chapters	3,500,000		12,000,000	
Others	2,893,242	10,043,556	2,528,300	17,609,438
Prepaid Expenses		196,213		206,319
Sundry Deposits		1,154,725		1,113,125
		41,626,938		37,898,992
Less: Contribution from ICSI to WIRC adjusted to Scientific Research Project Reserve as per contra (Schedule 3)		25,169,013		21,669,013
TOTAL		16,457,925		16,229,979

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

SCHEDULE 9 (Amount in Rs.)

PARTICULARS	31st March, 1999			31st March, 1998		
Current Liabilities						
Received in Advance						
- Student Registration fee	25,005,620			25,096,853		
- Others	460,993			347,120		
		25,466,613			25,443,973	
Payable to Regional Councils/Chapters		781,537			807,939	
Sundry Creditors		841,286			824,659	
Expenses Payable		5,914,015			3,820,605	
Benevolent Funds						
- Company Secretaries	2,518,404			982,708		
- Employees	494,018	3,012,422		538,135	1,520,843	
Deposit for prize awards (per contra)		210,255			210,000	
Trusts		0			98,301	
			36,226,128			32,726,320
Provisions						
Other benefits to be extended as per recommendations of 5th Pay Commission		4,893,733			4,900,004	
Voluntary Retirement Scheme		10,000,000			5,000,000	
Property Tax		4,215,376			3,962,674	
Leave Encashment		941,600			1,200,000	
Write-off of Assets		323,295			323,295	
Medical reimbursement		0			312,949	
Others		1,512,388			557,104	
			21,886,392			16,256,026
TOTAL			58,112,520			48,982,346

FEES FROM MEMBERS AND STUDENTS

SCHEDULE 10 (Amount in Rs.)

PARTICULARS	1998-99		1997-98	
Members				
Annual fees	3,152,575		3,050,788	
Other fees	22,350	3,174,925	29,725	3,080,513
Students				
Registration fees	17,015,267		16,952,714	
Exemption fees	2,899,348		2,654,893	
Postal Tuition fees	50,021,229		54,570,090	
Examination fees	24,461,548		25,429,281	
Licentiate fees	138,510		139,475	
Others fees (including PMQ)	590,297	95,126,199	642,007	100,388,460
TOTAL		98,301,124		103,468,973

OTHER INCOMES

SCHEDULE 11 (Amount in Rs.)

PARTICULARS	1998-99	1997-98
Incentive on investments	97,675	352,295
Profit on sale of investments	133,848	283,345
Interest on staff advances	327,003	132,400
Expert advisory services	0	2,000
Surplus on disposal of assets	13,036	228,873
Provision no longer required, written back	312,949	114,147
Miscellaneous	78,866	154,964
TOTAL	963,377	1,268,024

ESTABLISHMENT

SCHEDULE 12 (Amount in Rs.)

PARTICULARS		1998-99	1997-98
Salaries and Allowances		31,598,704	28,958,478
Contribution to:	Provident Fund	2,297,235	1,944,712
	Gratuity Fund	1,019,644	1,369,395
	Pension Fund	175,742	806,000
	Post-retirement Medical Scheme	34,080	121,440
Staff welfare		2,649,727*	2,654,698
TOTAL		37,775,132	35,854,723

* Includes Rs. 5.00 lacs (Previous Year Rs. 5.00 lacs) as grant to Employees Benevolent Fund.

COMMUNICATION

SCHEDULE 13 (Amount in Rs.)

PARTICULARS	1998-99	1997-98
Postage and Telegrams	3,540,292	3,768,566
Telephone, Fax and Telex	896,818	992,958
TOTAL	4,437,110	4,761,524

OTHER EXPENSES

SCHEDULE 14 (Amount in Rs.)

PARTICULARS	1998-99		1997-98	
Advertisement and Publicity		1,139,336		509,129
Bank charges		72,140		92,133
Rent, Rates and Taxes		1,538,631*		4,806,295
Electricity and Water		2,085,248		2,045,516
Insurance		60,866		51,037
Repairs and Maintenance				
- Buildings	873,020		426,977	
- Machines/Equipment	472,147		507,080	
- Vehicles	118,153	1,463,320	121,432	1,055,489
Legal and Professional charges		274,154		550,872
Office expenses		1,907,564		1,304,241
Computerisation				
- Data processing	699,686		1,596,329	
- Software	662,942	1,362,628	911,850	2,508,179
Meetings		213,879		163,423
Packing, Cartage and Freight		533,709		659,069
Loss on Sale/Disposal of Assets		20,566		96,303
Auditors remuneration				
- Audit fees	52,500		50,000	
- Other services	25,000	77,500	25,000	75,000
Provision for Doubtful Debts		33,450		7,200
Interest Paid		121,540		62,117
Obsolescence of Assets		-		323,295
TOTAL		10,904,531		14,309,298

* includes Rs. 6,35,933 (Previous Year Rs. 29,30,942) towards Property Tax in respect of buildings at Prasad Nagar and Lodi Road.

SCHEDULE 15

ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(A) ACCOUNTING POLICIES

1. Donations and Contributions by Regional Councils/Chapters

Direct donations and contributions made by Regional Councils/Chapters towards purchase of land/buildings and other assets are taken to General Reserve.

2. Fees

(a) Entrance Fee from Associate and Fellow Members is directly credited to "Capital Reserve" when received and no accrual thereof is created.

(b) Fees received from members is accounted for on cash basis. However, fees received in advance is carried over as a liability.

(c) Fees other than registration fees, received from students is accounted for on cash basis. Registration fees received is spread over a period of five years since the benefit accrues to students for a five-year period.

3. Investments

Investments are stated at lower of cost or market value. In the case of Zero Coupon Bonds cost refers to the purchase price as increased by the relatable portion of the discount.

4. Fixed Assets

(a) Depreciation on fixed assets is charged on written down value basis at the following rates:-

Items	%
Building	5
Furniture and Fixtures	10
Airconditioners/coolers, and other equipment	15
Library Books	33.33
Vehicles	20
Computers	40

(b) Depreciation on additions is charged for the full year irrespective of dates of additions. No depreciation is being charged in the year of sale.

(c) Fixed assets, except library books, costing Rs. 5000 or less are fully depreciated in the year of acquisition and those whose written down value is Rs. 250 or less at the beginning of the year, are fully depreciated.

(d) Premium paid on leasehold land is not amortized over the period of lease.

5. Inventories

(a) Stock of paper and other materials are valued at cost.

(b) Stock of study materials, publications, Journal/ Bulletins and audio cassettes are valued at nominal cost of Re. 1 for items costing upto Rs. 50 and Rs. 5 for items costing above Rs. 50.

6. Employees retirement and other benefits

(a) Contribution to Pension Fund Trust is made on the basis of actuarial valuation.

(b) Contribution to Gratuity Fund Trust is made in accordance with the Group Gratuity Scheme with the Life Insurance Corporation of India.

(B) NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

1. The Institute has received exemption dated 23.02.1999 under Section 10(23c)(iv) of the Income Tax Act, 1961 upto the financial year 1999-2000. In view of the exemption available under the said section, no provision for tax has been made in the accounts.
2. Freehold land measuring 500 Sq. Yards allotted by the Haryana Urban Development Authority (HUDA) at Faridabad to Faridabad Chapter of Institute at Rs. 3.65 Lacs could not be handed over by HUDA due to some dispute in the title and the authorities had promised to allot alternative plot of land which had not been effected so far. Pending allotment of alternative site, a sum of Rs. 3.65 Lacs paid till date (Rs. 3 Lacs is reflected in Advances for purchase of land in the Institute's books and Rs. 0.65 Lacs in the books of the Chapter) continues to be included under Advances.
3. Balance provision of Rs. 48.94 Lacs (Previous year Rs. 49.00 Lacs) created for arrears of salary and allowances has been retained towards probable increase in the pension payable to the Trust.
4. Following past practice, closing inventories of publications/study materials have been, as a prudent measure, valued at nominal amount since these have

no value except to the students and that too only when purchased.

5. Provision for property tax of Rs. 6.22 lacs has been made in the accounts for Prasad Nagar Building based on the demand raised by the Authority. Additional amount, if any, between the amount provided and that payable will be accounted for in the year when the matter is finally decided.

6. In respect of Pune Chapter's building costing Rs. 8,19,950, the ICSI had entered into an agreement to sell, handed over possession and received the sale consideration there against. However, the conveyence deed in respect of the same remains to be executed.

7. To meet the cost of construction and other related expenditure for the 'Centre for Corporate Research & Training' (CCRT) at Navi Mumbai, the Institute had advanced sums aggregating to Rs. 2,51,69,013 upto 31st March, 1999 (Rs. 2,16,69,013 upto 31st March, 1998) excluding the cost of land contributed by Headquarters to WIRC, which has been reduced from "Scientific Research Project (CCRT) Reserve" and "Loans and Advances" respectively, being contra entries. The actual cost incurred to date aggregating to Rs. 3,27,47,069 included under Advances (Work-in-progress) and shown in the Fixed Assets Schedule. This adjustment as referred to above, however, has no impact on the accounts of the Institute.

8. Pending formulation and recognition of a Voluntary Retirement Scheme, a sum of Rs. 100 lacs set apart from out of the surplus for the proposed Voluntary Retirement Scheme (VRS), to provide for voluntary retirement payments, is carried under Provisions.

9. (i) The rates of depreciation on computers have been revised from 15% to 40% w.e.f. 01.04.1998 to take care of the element of obsolescence present therein. Consequently, there is an additional charge to the Income & Expenditure Account amounting to Rs. 18.16 lacs.

   (ii) The rates of depreciation on library books have been revised from 20% to 33.33% from current year keeping in view the life and utility to the organisation. Consequently there is an additional charge to the Income & Expenditure Account amounting to Rs. 1.16 lacs.

   (iii) Library books acquired during the year have been charged to the Income & Expenditure Account under the head "Books & Periodicals" as against the practice of capitalising the same in the past. This change has resulted in an additional charge to the Income & Expenditure Account amounting to Rs. 3,06,529.

10. Balances outstanding in advances recoverable account, loans to Regional Councils/Chapters are subject to confirmation.

11. Previous year's figures have been regrouped/ rearranged wherever necessary to compare with current year's figures.

12. The accounts of Regional Councils and Chapters have not been consolidated as per past practice.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054